कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड

सामग्री प्रबंधन विभाग

ई-निविदाओं, मैनुअल निविदाओं के लिए निविदाकारों को निर्देश

तथा

खुली निविदाओं के लिए सामान्य निविदा शर्तें

अनुक्रमणिका

अनुभाग	विषय	पृष्ठ
1	ई-निविदाओं के लिए निविदाकारों को निर्देश	
1.1	मैनुअल निविदाओं के लिए निविदाकारों को निर्देश	
1.2	मैनुअल टेंडर के लिए टेंडर शेड्यूल	
2	सामान्य निविदा शर्तें	
2.1	इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स ऑक्शन के लिए दिशानिर्देश - दिनांक 23.01.2018 का रेलवे बोर्ड पत्र	
2.2	कार्य, सामग्री और सेवा संविदा के लिए, इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स ऑक्शन के लिए दिशानिर्देश - दिनांक 28.03.2018 का रेलवे बोर्ड पत्र	
2.3	कार्य, सामग्री और सेवा संविदा के लिए, इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स ऑक्शन के लिए दिशानिर्देश - रेलवे बोर्ड पत्र दिनांक 08.08.2019 इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स ऑक्शन के लिए दिशानिर्देश - रेलवे बोर्ड पत्र दिनांक 08.08.2019 Dt.18.10.2019	
3	अनुबंध	
3.1	कार्य निष्पादन विवरण के लिए प्रपत्र	
3.2	उपकरण और गुणता नियंत्रण विवरण के लिए प्रपत्र	
3.3	इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (क्रेडिट समाशोधन) मॉडल मैंडेट फॉर्म	
3.4	बोलीदाताओं के लिए चेक शीट	

3.5	इंटीग्रिटी पैक्ट	
3.6	माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज द्वारा उत्पादित वस्तुओं और प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए सार्वजनिक खरीद नीति (एम एस ई)	
3.7	रेलवे बोर्ड द्वारा जारी किए गए प्रक्रिया/ कार्यविधि आदेश क्रमांक 1 से 17 . पर रखा गया है	

कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड

सामग्री प्रबंधन विभाग

भंडार नियंत्रक का कार्यालय

8वीं मंजिल, रायगड भवन, सेक्टर-11

सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई – 400614

ई-निविदाओं के लिए निविदाकारों को निर्देश

1.0 निविदा फॉर्म भरने से पहले, कृपया इसे पढ़ें :

A) ई-निविदाओं के लिए निविदाकारों को निर्देश,

B) सामान्य निविदा शर्तें,

C) विशेष निविदा शर्तें,

D) आईआरएस-केआर अनुबंध की शर्तें (जैसा लागू हो).

ये कोंकण रेलवे वेब पेजों और आईआरईपीएस वेब साइट www.ireps.gov.in पर उपलब्ध हैं। संविदा / करार और आपूर्ति इन शर्तों के अधीन होंगे। ई-निविदा फॉर्म पर आपका डिजिटल हस्ताक्षर इस बात का संकेत होगा कि आपने सभी शर्तों को पढ़ लिया है और स्वीकार कर लिया है और जब तक कि आपके द्वारा प्रस्ताव में विशेष रूप से इनकार / उल्लेख नहीं किया जाता है इन शर्तों का पालन करने का वचन दिया है।

1.1 कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से, भंडार नियंत्रक, कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड, 8वीं मंजिल, रायगड भवन, सेक्टर-11, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई - 400614 (इस में इस के पश्चात खरीदार के रूप में संदर्भित) प्रत्येक इलेक्ट्रानिक निविदा "वित्तीय दर पृष्ठ स्क्रीन" के साथ संलग्न "निविदा आमन्त्रण सूचना" और "आइटम विवरण" पृष्ठ में निर्धारित मदों की आपूर्ति के लिए इलेक्ट्रानिक निविदाएं आंमत्रित करता है। संविदा / करार , यदि किया गया है, तो (i) आईआरएस-केआर के संविदा / करार के नियमों और शर्तों के नवीनतम संस्करण, (ii) ई-निविदाओं के लिए निविदाकारों को निर्देश (iii) सामान्य निविदा शर्तों और (iv) संविदा / करार की विशेष शर्तों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।

1.2 यह माना जाएगा कि जिन फर्मों ने निविदा लागत के साथ ई-बिड जमा की है, उन्होंने निविदा के सभी नियमों और शर्तों को अच्छी तरह से पढ़ लिया है और संविदा / करार की आईआरएस-केआर शर्तों को स्वीकार करते हैं, जब तक फर्म अपने कोटेशन में निविदा के नियमों और शर्तों और संविदा / करार की आईआरएस-केआर शर्तों का उल्लंघन / बदलाव इंगित नहीं करते हैं।

2.0 निविदा दस्तावेज और निविदा लागत :

2.1 निविदाकर्ताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे निविदा दस्तावेज के लिए अपेक्षित लागत जमा करने के बाद अपनी बोलियां अपलोड करें। इसलिए यह सलाह दी जाती है कि ई-बोली जमा करने का प्रयास करने से पहले, निविदा दस्तावेज लागत के भुगतान के प्रमाण को संभाल कर रखा जाए।

निविदा लागत का भुगतान निम्नलिखित विधि से किया जा सकता है:

I. प्रत्यक्ष रूप में :

एक राष्ट्रीयकृत बैंक पर डिमांड ड्राफ्ट FA&CAO कोंकण रेलवे के पक्ष में सीबीडी बेलापुर में जमा देय करके।

बैंक ड्राफ्ट/नकद रसीद की स्कैन प्रति ई-बिड के साथ अपलोड की जा सकती है यदि निविदा लागत का भुगतान उपरोक्त विधि से किया जाता है विधिवत रूप से निविदाकार का नाम, निविदा संख्या, निविदा प्रकार और नियत तारीख को लिखत दस्तावेजों के पीछे इंगित करते हुए बैंक ड्राफ्ट/नकद रसीद को पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के तहत निम्नलिखित पते पर भेजा जाना चाहिए: भंडार नियंत्रक का कार्यालय, 8 वीं मंजिल, रायगड भवन, सेक्टर-11, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई 400614 । उन्हें लिफाफे पर "निविदा दस्तावेज की लागत और इलेक्ट्रॉनिक निविदा संख्या के लिए बयाना राशि, प्रकार और अंतिम तिथि" भी लिखनी चाहिए।

वैकल्पिक रूप से उपरोक्त दस्तावेजों को इस उद्देश्य के लिए निर्दिष्ट बॉक्स में छोड़ा जा सकता है और ई-निविदा की अंतिम तिथि और समय तक भंडार नियंत्रक का कार्यालय, कोंकण रेलवे में रखा जा सकता है।

II. इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म:

आईआरईपीएस गेटवे के माध्यम से भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा । निविदाकर्ता FA&CAO / KRCL / BELAPUR के पक्ष में RTGS / NEFT के माध्यम से निविदा दस्तावेज की लागत केआरसीएल के खाता संख्या 4000000065, भारतीय स्टेट बैंक, बेलापुर भवन, सेक्टर -11, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई - 400 614 में जमा कर सकते हैं।

III. किसी भी स्थिति में, सफल निविदाकार को आदेश देने से पहले निविदा लागत जमा करनी होगी। अन्यथा निविदा लागत फर्म के प्रथम बिल से वसूल की जायेगी।

IV. निविदा लागत के भुगतान से माफी :

(a) निविदा मदों के लिए NSIC के साथ पंजीकृत फर्मों को निविदा लागत के भुगतान से छूट दी गई है। हालांकि, ऐसी फर्मों को अपने दावे के समर्थन में निविदा आइटम के लिए वर्तमान और वैध NSIC प्रमाण पत्र की सुपाठ्य स्कैन की हुई कॉपी अपलोड करनी होगी, जिसमें विफल रहने पर निविदा दस्तावेज की लागत पहले बिल से वसूल की जाएगी, यदि क्रय आदेश फर्म पर जारी किया जाता है।

(b) M/s IOCL, HPCL, BPCL, IBP, Balmer Lawrie, BHEL, BEML और अन्य सरकारी विभाग जैसे रक्षा मंत्रालय आदि जैसे सार्वजनिक उपक्रमों को भी निविदा लागत का भुगतान करने से छूट दी गई है।

2.2 निविदा लागत के भुगतान के लिए लिखतों के दस्तावेजों वाले लिफाफों में संलग्न किसी भी मैनुअल प्रस्ताव को अमान्य प्रस्ताव माना जाएगा और उस पर विचार नहीं किया जाएगा।

2.3 ई-निविदा दस्तावेजों में शामिल हैं:

a) ई-निविदाओं के लिए निविदाकारों को निर्देश,

b) सामान्य निविदा शर्तें,

c) आईआरएस-केआर अनुबंध की शर्तें,

d) विशेष निविदा शर्तें (यदि कोई हो),

e) संलग्नक सहित तकनीकी-वाणिज्यिक प्रस्ताव प्रपत्र (यदि कोई हो),

f) वित्तीय प्रस्ताव प्रपत्र

2.4 ई-निविदाओं के लिए मैनुअल प्रस्ताव स्वीकार नहीं किए जाएंगे, भले ही वे फर्म के लेटर हेड/किसी अन्य प्राप्त या डाउनलोड किए गए और समय पर जमा किए गए फॉर्म पर जमा किए गए हों। ऐसे सभी मैनुअल प्रस्तावों को अमान्य प्रस्ताव माना जाएगा और बिना किसी विचार के सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

3.0 ई-निविदा भरना

3.1 निविदाओं को निर्धारित स्थान पर डिजिटल हस्ताक्षर के साथ विधिवत भरा जाना चाहिए और ऑनलाइन जमा किया जाना चाहिए। चिह्नित (*) किए गए सभी आदेशात्मक क्षेत्रों को निविदाकारों द्वारा भरा जाना चाहिए।

3.2 निविदाकारों को तकनीकी-वाणिज्यिक प्रस्ताव फॉर्म (पात्रता का मानदंड, नियम और शर्तें, परफ़ोर्मेंस विवरण, भिन्नता विवरण, चेकलिस्ट और विशेष शर्तों आदि से मिलकर), वित्तीय प्रस्ताव फॉर्म भरना होगा और आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रति संलग्न करनी होगी।

3.3 टेक्नो-कमर्शियल ऑफर फॉर्म और वित्तीय ऑफर फॉर्म (यानी रेट पृष्ठ) के सभी अनिवार्य खाने मद क्षेत्र जिसमें मूल दर, सभी कर और शुल्क (बिक्री कर/जीएसटी, और आबकारी शुल्क के अधिकतम प्रतिशत सहित) या कोई अन्य कर शुल्क शामिल हैं जो संविदा / करार की अवधि के दौरान लागू हो सकते हैं, गंतव्य स्थान तक माल ढुलाई और किसी भी अन्य शुल्क को भरना होगा। दर की इकाई निविदा अनुसूची के अनुसार होगी और विक्रेता द्वारा परिवर्तित नहीं की जा सकती है। गंतव्य स्थान के आधार पर सभी समावेशी दरों की गणना सिस्टम द्वारा स्वचालित रूप से की जाएगी और प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले विक्रेता द्वारा देखा जा सकती है। (स्क्रीनशॉट/प्रिंट-स्क्रीन वही दर जमा करने के प्रमाण के रूप में स्वीकार्य नहीं होगा।)

3.4 प्रत्येक निविदा इकाई के लिए लागू, एक्स-वर्क्स, मूल मूल्य, पैकिंग शुल्क, अग्रेषण शुल्क, आबकारी शुल्क, शैक्षिक उपकर, बिक्री कर /जीएसटी और स्थान तक माल ढुलाई प्रभार, संविदाकारों को स्पष्ट रूप से अलग-अलग दर्शन चाहिए। माल भाड़ा प्रभार शुल्क और अग्रेषण प्रभार पर शुल्क और कर देय नहीं हैं। इसलिए, यदि निविदाकर्ता एक समग्र संमिश्रित मूल्य दर्शन करता है, तो प्रभार और अग्रेषण शुल्क अलग से दिखाते हुए देय ब्रेक-अप दिया जाना है।

3.5 निविदाकारों को प्रस्ताव में कहीं और की बजाय केवल दर अनुसूची में डिस्काउंट दिखाना चाहिए। निर्दिष्ट स्थान पर प्रदर्शित न होने वाली छूटों को प्रस्तावों की परस्पर रैंकिंग प्रदान करने के लिए सरसरी तौर पर नज़रअंदाज कर दिया जाएगा। सशर्त छूट पर विचार नहीं किया जाएगा । जो किसी भी शर्त के बिना उद्धरण दर का ही (अर्थात मात्रा, भुगतान, निरीक्षण एजेंसी, स्थान, वितरण स्थान आदि के संबंध में स्थिति, आदि) केवल मूल्यांकन के लिए विचार किया जाएगा। दूसरे शब्दों में, पारस्परिक स्थिति का निर्धारण करने के लिए परिमाण, शीघ्र भुगतान आदि से जुड़ी रियायती दरों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। तथापि खरीदार, सफल निविदाकारों को काउंटर ऑफर के लिए, व्यावहारिक और उपयुक्त समझी जाने वाली रियायती दर/दरों का उपयोग करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

3.6 फर्म को संविदा / करार की सभी IRS-KR शर्तों को स्वीकार करना चाहिए। संविदा / करार की IRS-KR शर्तों के अनुरूप नहीं होने वाली किसी भी शर्त से बचा जाना चाहिए।

3.7 निविदाकारों को सलाह दी जाती है कि वे निविदा मात्रा के न्यूनतम 50% के लिए बोली लगाएं, ऐसा न करने पर उनके प्रस्तावों को नजरअंदाज कर दिया जाएगा।

3.8 बताए गए स्थान पर डिलीवरी करना आवश्यक है। इसमें से किसी भी बदलाव को व्यावसायिक रूप से अनुत्तरदायी माना जा सकता है और प्रस्ताव को अनदेखा किया जा सकता है।

3.9 डिलीवरी अधिमानतः सड़क परिवहन द्वारा की जानी चाहिए।

3.10 निर्माता का नाम और पता और प्रस्तावित स्टोर का ब्रांड, यदि आवश्यक हो, ड्राइंग/विनिर्देश के अनुसार बताया जाना चाहिए। अन्यथा प्रस्तावों को अस्वीकार किया जा सकता है।

3.11 प्रस्ताव निविदा की समाप्ति तिथि के बाद 90 दिनों के लिए वैध होना चाहिए। कम वैधता वाले किसी भी प्रस्ताव को व्यावसायिक रूप से अनुत्तरदायी माना जाएगा और इसे नजरअंदाज किया जाएंगे।

3.12 ई-निविदा प्रपत्र हस्तांतरणीय नहीं है।

3.13 निविदाकारों को स्पष्ट रूप से यह बताना होगा कि क्या वे उद्धृत वस्तु की आपूर्ति के लिए भंडार नियंत्रक / कोंकण रेलवे के साथ पंजीकृत हैं, और यदि ऐसा है, तो उन्हें दर पृष्ठ में अपनी पंजीकरण संख्या और मौद्रिक सीमा (यदि कोई हो) का उल्लेख करना होगा।

3.14 टिप्पणी कॉलम में दर्शाए गए किसी भी वित्तीय अंश को रैंकिंग/मूल्यांकन के लिए नहीं लिया जाएगा और इसे सरसरी तौर पर नजर अंदाज कर दिया जाएगा। इसलिए संविदाकारों को सलाह दी जाती है कि वे वित्तीय दर पृष्ठ पर उपलब्ध टिप्पणी कॉलम में किसी भी वित्तीय अंश को दर्ज न करें।

3.15 निविदाकारों को निविदा अनुसूची में दिए गए दर इकाइयों (Nos./Kgs./Sets/ mtrs/kms etc.) में ही बोली लगाने की आवश्यकता है। इस पहलू में कोई भी बदलाव प्रस्ताव को सरसरी तौर पर नज़र अंदाज़ कर देगा।

4.0 ड्राइंग और स्पेसिफिकेशन :

4.1 जब तक निविदा अनुसूची में उल्लिखित ड्राइंग और स्पेसिफिकेशन निविदा दस्तावेजों के साथ प्रदान नहीं किए जाते हैं या निविदाकारों द्वारा डाउनलोड करने के लिए आईआरईपीएस वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं, ये नीचे दिखाए गए तरीके से प्राप्त किए जा सकते हैं

a) RDSO / ICF / DLW / CLW / कोर आदि की स्पेसिफिकेशन / STR / ड्राइंग संबंधित प्राधिकारी से भुगतान पर प्राप्त की जा सकती है जिसने इन्हें जारी किया है।

b) कोंकण रेलवे के संबंधित प्राधिकारी द्वारा तैयार किए गए ड्राइंग और स्पेसिफिकेशन निविदा में दर्शाए गए कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं।

4.2 यदि कोई निविदाकार अपने स्वयं के ड्राइंग नंबर / पार्ट नंबर / स्पेसिफिकेशन के साथ बोली लगाता है, तो उसे अपने प्रस्ताव के समर्थन में सभी आवश्यक दस्तावेज और जानकारी को निविदा ड्राइंग / स्पेसिफिकेशन के अनुरूप प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा, इस तरह के चित्र / स्पेसिफिकेशन / कैटलॉग भी अपलोड किए जाने हैं, ऐसा न करने पर प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

5.0 ई-बोली के साथ संलग्न/अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज :

निम्नलिखित दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रति ई-बिड के साथ अपलोड की जानी चाहिए:

a) समान या समान वस्तुओं की आपूर्ति के लिए रेलवे के आदेशों के अनुसार परफॉर्मन्स स्टेटमेंट। लंबित आदेशों की सही स्थिति/आपूर्ति की स्थिति, यदि कोई हो, अनिवार्य रूप से इंगित की जानी चाहिए। सहायक दस्तावेज अपलोड करने होंगे।

b) RDSO/RITES द्वारा जारी निरीक्षण प्रमाणपत्रों सहित आपूर्ति/खरीद आदेश और उनके पिछले प्रदर्शन को प्रमाणित करने के लिए रसीद नोट,

c) मशीनरी और संयंत्र का विवरण, अन्य उपकरण, परीक्षण सुविधाएं, गुणवत्ता प्रबंधन / नियंत्रण प्रणाली और उपलब्ध तकनीकी कर्मी का विवरण,

d) RDSO/रेलवे से अनुमोदन पत्र जिसमें वर्तमान वैधता और आरडीएसओ द्वारा उनके क्यूएपी का अनुमोदन, जहां भी लागू हो, दर्शाया गया हो,

e) निविदाकारों को संबंधित रेलवे के साथ अपनी पंजीकरण संख्या मौद्रिक सीमा, व्यापार समूह जिनके लिए पंजीकृत है, और पंजीकरण की वैधता तिथि के साथ इंगित करना चाहिए,

f) वर्तमान और वैध NSIC प्रमाणपत्र, यदि निविदा मद के लिए एनएसआईसी के साथ पंजीकृत है,

g) छूट/छूट के पक्ष में ईएमडी और निविदा लागत या आधार का भुगतान करने का प्रमाण, जिसका विवरण ई-निविदा के भुगतान विवरण पृष्ठ में निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है (यदि भुगतान विवरण मैन्युअल रूप से भरा गया है)।

5.2 विक्रेता के लिए विशेष शर्तों/चेकलिस्ट का अनुपालन :

विक्रेताओं को सलाह दी जाती है कि प्रत्येक विशेष शर्त / चेकलिस्ट के सामने "हां" या "नहीं" बताते हुए प्रत्येक प्रस्ताव के साथ "विशेष निविदा शर्त / चेकलिस्ट का अनुपालन" पूरा करें। "नहीं" के मामले में उन्हें उपयुक्त बॉक्स में उस विशेष शर्त / चेकलिस्ट से सहमत नहीं होने का कारण भरना होगा।

6.0 बिड प्रस्तुत करना :

6.1 संबंधित दस्तावेजों के साथ ई-बोली अपलोड की जानी चाहिए और IREPS वेब साइट पर पहले से पंजीकृत निविदाकार के प्राधिकृत कर्मियों के डिजिटल हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। उपयोग किए गए डिजिटल हस्ताक्षर भारत सरकार द्वारा अनुमोदित प्रमाणन प्राधिकरण से प्राप्त "कंपनी के नाम के साथ Class-IIIB" होना चाहिए।

6.2 जैसे ही IREPS वेबसाइट में NIT उपलब्ध होते हैं, निविदाकारों ने एनआईटी देखने चाहिए और अपने स्वयं के कंप्यूटर सिस्टम या संचार लाइन में अंतिम मिनट की परेशानी से बचने के लिए, समापन तिथि और समय की प्रतीक्षा किए बिना अपने प्रस्ताव को अग्रिम रूप से अपलोड करना चाहिए। निविदा समापन समय के दिन किसी भी तकनीकी समस्या के कारण विक्रेताओं की गैर-भागीदारी के लिए कोंकण रेलवे जिम्मेदार नहीं है।

6.3 www.ireps.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक टेंडर बॉक्स में प्राप्त बोलियों पर ही विचार किया जाएगा।

6.4 ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम उस ई-निविदा की अंतिम तिथि और समय के बाद किसी भी प्रस्ताव को जमा करने की अनुमति नहीं देता है। अत: ऑनलाइन बोली प्रक्रिया में किसी विलंबित/प्रलंबित प्रस्ताव की कोई गुंजाइश नहीं है।

7.0 निविदा खोलना :

7.1 इलेक्ट्रॉनिक टेंडर बॉक्स निविदा की निर्धारित अंतिम तिथि और समय के बाद ही खोले जाएंगे जैसा कि I REPS वेबसाइट पर दिखाया गया है।

7.2 ई-निविदा बॉक्स कम से कम दो अधिकृत रेलवे अधिकारियों द्वारा अपनी सुरक्षित डिजिटल अनुमति, पासवर्ड और भारत सरकार द्वारा अनुमोदित प्रमाणन एजेंसियों से प्राप्त डिजिटल निजी कुंजी का उपयोग करके खोले जाएंगे। आइकन इंगित करेगा कि निविदाएं खोली गई हैं।

7.3 किसी भी ई-निविदा खोलने की प्रक्रिया के लिए विक्रेता को रेलवे कार्यालय में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी। वे निविदा खोलने के बाद IREPS वेबसाइट पर लॉग इन करके पूरी तरह से पारदर्शी बोली सारणी विवरण (खुली और विशेष लिमिटेड निविदाओं के मामले में) प्राप्त कर सकते हैं।

7.4 सभी भाग लेने वाले विक्रेता जिन्होंने वैध इलेक्ट्रॉनिक ऑफ़र प्रस्तुत किए हैं, वे अपने स्वयं के ऑफ़र विवरण के साथ-साथ निविदा तालिका विवरण (ओपन और स्पेशल लिमिटेड निविदाओं के मामले में) को किसी भी दूरस्थ स्थान से इंटरनेट एक्सेस का उपयोग करके खोलने के तुरंत बाद वेब-साइट www.ireps.gov.in पर वर्चुअल टेंडर बॉक्स के आइकन पर क्लिक करके देख सकते हैं।

7.5 रेलवे अपने नियंत्रण से परे कारणों से अंतिम तिथि और समय के तुरंत बाद निविदाओं को खोलने की गारंटी नहीं देता है और इसलिए निविदाएं नियत तारीख और समय के बाद भी खोली जा सकती हैं। तथापि, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि निविदा की अंतिम तिथि और समय के बाद कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जाता है। निविदा सूचना में निर्धारित अंतिम तिथि और समय के बाद विक्रेता किसी भी प्रस्ताव को प्रस्तुत / संशोधित नहीं कर सकते हैं या कोई फाइल संलग्न नहीं कर सकते हैं। वर्चुअल टेंडर बॉक्स को बंद करने के बाद, सिस्टम ई-निविदा में निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तावित किसी भी प्रविष्टि या शर्त में किसी भी परिवर्तन, संशोधन, विलोपन की अनुमति नहीं देता है।

7.6 भंडार नियंत्रक या KRCL की ओर से अधिकृत कोई भी अधिकारी न्यूनतम या किसी अन्य प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और इस तरह की कार्रवाई के लिए कोई कारण बताए बिना एक से अधिक स्रोतों पर संविदा / करार को रद्द करने, कम करने या विभाजित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

8.0 बयाना जमा :-

निविदा में दर्शाई गई राशि को FA&CAO/KRCL के पास बयाना राशि के रूप में जमा करना आवश्यक है।

a) किसी राष्ट्रीयकृत बैंक / भारत के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा निष्पादित बैंक गारंटी, या

b) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित भारतीय अनुसूचित बैंक की सावधि जमा रसीद या कॉल जमा रसीद, या

c) भारतीय स्टेट बैंक द्वारा निष्पादित भुगतान आदेश या डिमांड ड्राफ्ट या गारंटी बांड या भारत सरकार की बैंक गारंटी योजना के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विधिवत मुद्रांकित और अनुमोदित एक शेड्यूल बैंक द्वारा।

बयाना राशि का भुगतान ई-निविदा की अंतिम तिथि और समय से पहले निविदा लागत के लिए पैरा (2.0) के तहत संकेत के अनुसार मैन्युअल रूप से (अर्थात ऑफ़लाइन) किया जा सकता है।

1.1 छूट: निम्नलिखित श्रेणियों के निविदाकारों को बयाना राशि जमा करने से छूट दी गई है:-

a) NSIC के साथ पंजीकृत विक्रेता, निविदा की गई वस्तुओं के लिए उनके पंजीकरण की मौद्रिक सीमा तक।

b) कोंकण रेलवे या अन्य क्षेत्रीय रेलवे के साथ पंजीकृत विक्रेता, निविदा की गई वस्तुओं/निविदा मदों के व्यापार समूहों के लिए उनके पंजीकरण की मौद्रिक सीमा तक।

c) RDSO/ PUs/ CORE//रेलवे आदि की अनुमोदित सूची पर वेंडर जिनके लिए वे विशिष्ट मदों के लिए अनुमोदित सूची में हैं।

d) निर्माता और उनके मान्यता प्राप्त एजेंट।

e) अन्य रेलवे, सरकारी विभाग।

f) DIPP (औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग) द्वारा मान्यता प्राप्त सभी स्टार्ट-अप.

बयाना राशि के भुगतान से छूट प्राप्त निविदाकारों को अपने प्रस्ताव के साथ अपने दावे के समर्थन में अपेक्षित दस्तावेजी साक्ष्य की स्कैन प्रति अपलोड करनी होगी।

1.2 बयाना जमा अंतिम प्रस्ताव वैधता अवधि के बाद 45 दिनों की अवधि के लिए वैध रहना चाहिए। सफल निविदाकारों को सुरक्षा राशि प्राप्त होने पर बयाना जमा वापस कर दी जाएगी। निविदाओं को अंतिम रूप देने के बाद असफल निविदाकारों को बयाना जमा भी वापस कर दी जाएगी।

1.3 बयाना राशि की जब्ती:

यदि निविदाकर्ता अपनी वैधता अवधि के भीतर अपने प्रस्ताव को वापस लेता है या संशोधित करता है, तो रेलवे को बयाना जमा राशि को जब्त करने का अधिकार होगा।

1.4 यदि निविदा खोलने से पहले रेल प्रशासन द्वारा निविदा रद्द कर दी जाती है, तो भुगतान की गई बयाना जमा निविदाकर्ता को वापस कर दी जाएगी।

2.0 प्रतिभूति जमा :

2.1 10 लाख रुपये से अधिक मूल्य के संविदा / करार वाले सभी मदों के लिए सभी फर्मों से प्रतिभूति जमा/ प्रदर्शन गारंटी ली जाएगी, केवल उन सार्वजनिक उपक्रमों को छूट दी जाएगी जो रेल मंत्रालय के स्वामित्व वाले हैं, तथा Production Units of Railways, Zonal Railways, CORE/ALD, RDSO or NSIC के साथ पंजीकृत, उन विशिष्ट वस्तुओं की आपूर्ति के लिए जिसके लिए वे उनके साथ पंजीकृत हैं।

2.2 निम्नलिखित छूटों के अधीन विज्ञापित निविदा और वैश्विक निविदाओं के लिए रखी गई वस्तुओं के अनुबंध के लिए सभी फर्मों से प्रतिभूति जमा लिया जाएगा:

a) ऑर्डर की गई वस्तुओं के लिए उनके पंजीकरण की मौद्रिक सीमा तक NSIC के साथ पंजीकृत विक्रेता।
b) केआरसीएल, अन्य रेलवे के साथ पंजीकृत विक्रेता, ऑर्डर की गई वस्तुओं के लिए उनके पंजीकरण की मौद्रिक सीमा तक, ऑर्डर की गई वस्तुओं के लिए ट्रेड ग्रुप या RDSO, PUs, CORE, Railway आदि की अनुमोदित सूची पर वेंडर, जिनके लिए वे अनुमोदित सूची में हैं या अन्य रेलवे, सरकारी विभागों को उनके विशिष्ट अनुरोध पर और निविदा समिति द्वारा विचार किए गए मामले के गुण के आधार पर।

2.3 हालांकि सामान्य प्रतिभूति जमा, भी जाएगी यदि संविदा / करार अपंजीकृत/अस्वीकृत फर्मों पर रखे जाते हैं या उन मदों के लिए लिया जाता है जिनके लिए कोई विशेष फर्म पंजीकृत/अनुमोदित नहीं है। निविदाकर्ता को इस तरह के दावे/अनुरोध के मामले में प्रतिभूति जमा माफी के दावे के समर्थन में उपरोक्त आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियां अपलोड करना आवश्यक है।

2.4 प्रतिभूति जमा की राशि, जहां कहीं भी विचार किया जाए, संविदा / करार के कुल मूल्य का 10% होगा, जो 50 लाख रुपये की ऊपरी सीमा के अधीन होगा। (रेलवे बोर्ड के पत्र दिनांक 21.02.2018 के अनुसार 'भंडार निविदाओं के लिए सुरक्षा जमा' - लिंक नीचे दिया गया है)

https://indianrailways.gov.in/railwayboard/uploads/directorate/stores/downloads/circular/RS%20G/EMDSD.pdf

2.5 प्रतिभूति जमा आपूर्तिकर्ता के सभी संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने की तारीख से 60 दिनों की न्यूनतम अवधि के लिए वैध रहना चाहिए। सभी संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने के बाद, सफल आपूर्तिकर्ता को प्रतिभूति जमा वापस कर दिया जाएगा। सभी संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने के बाद, सफल आपूर्तिकर्ता को प्रतिभूति जमा वापस कर दिया जाएगा।

2.6 सफल निविदाकारों को संविदा / करार की उचित पूर्ति के लिए प्रशासन के आवश्यकतानुसार FA/CAO/KRCL के पास सुरक्षा जमा करना आवश्यक होगा। प्रतिभूति जमा निम्नलिखित में से किसी भी तरीके से किया जा सकता है: -

a) किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक की जमा रसीद।

a) सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्य बाजार मूल्य से 5% कम होना चाहिए।

b) किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निष्पादित गारंटी बांड।

c) किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का डिमांड ड्राफ्ट।

d) डाकघर बचत बैंक में जमा।

e) राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र।

f) रक्षा जमा।

g) राष्ट्रीय रक्षा बांड।

2.7 फर्मों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है कि मान्यता प्राप्त एजेंसियों से डिजिटल हस्ताक्षर प्राप्त करने के लिए उनके द्वारा दिया गया पता वही हो जो RDSO / CLW / DLW / ICF आदि जैसे केंद्रीकृत स्रोत अनुमोदन अधिकारियों के पास उपलब्ध है। उन्हें आगे यह भी सलाह दी जाती है कि ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम में भाग लेने के लिए IREPS वेबसाइट में खुद को पंजीकृत करते समय, ऊपर के रूप में एक ही पता

भरा जाता है, ताकि सूचना के किसी भी प्रकार के नुकसान और उनके क्रेडेंशियल्स में परिणामी हानि से बचा जा सके।

2.8 इंटीग्रिटी पैक्ट : यह निविदा KRCL के सत्यनिष्ठा संधि कार्यक्रम के तहत कवर की गई है और संभावित बोलीदाताओं को सत्यनिष्ठा संधि दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता है और इसे सत्यनिष्ठा संधि के संविदा / करार- II में दिए गए मूल्य के अनुसार स्टोर संविदा / करार के लिए बोलियों से पहले या साथ में जमा करना होगा।

कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड

सामग्री प्रबंधन विभाग

<u>मैनुअल-निविदाओं के लिए निविदाकारों को निर्देश</u>

टिप्पणी: बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे इसके साथ संलग्न ई-निविदाओं के लिए निविदाकारों निर्देश को पढ़ें। मैनुअल निविदाओं के लिए निर्देश और मैनुअल और ई-निविदाओं के लिए सामान्य शर्तें, केवल मैनुअल निविदाओं के लिए लागू निम्नलिखित परिवर्तनों को छोड़कर समान हैं।

अनुच्छेद	निम्नलिखित परिवर्तनों के साथ पढ़ने के लिए
जहां कभी दिखाई दे रहा है	ई-निविदा या इलेक्ट्रॉनिक निविदा के स्थान पर निविदा ई-बोली के स्थान पर बोली अपलोड के स्थान पर संलग्न मैनुअल बोलियां जमा करने के लिए प्रयुक्त निविदा अनुसूची प्रपत्र संलग्न है
1.0	टेंडर फॉर्म भरने से पहले। कृपया इसे पढ़ें : A) मैनुअल-निविदा के लिए निविदाकारों को निर्देश, B) सामान्य निविदा शर्तें, C) विशेष निविदा शर्तें, D) IRS-KR संविदा / करार की शर्तें (जैसा लागू हो)। ये कोंकण रेलवे की वेबसाइट www.konanrailway.gov.in पर उपलब्ध हैं संविदा / करार और आपूर्ति उक्त शर्तों के अनुसार संचालित होगी। निविदा फॉर्म पर आपका हस्ताक्षर इस बात का संकेत होगा कि आपने सभी शर्तों को पढ़ लिया है और स्वीकार कर लिया है और जब तक कि आपके द्वारा आपके प्रस्ताव में विशेष रूप से इनकार/उल्लेख नहीं किया जाता है, तब तक आप सभी शर्तों का पालन करने के लिए तैयार हैं।
1.1	कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से, भंडार नियंत्रक, 8वीं मंजिल, रायगड भवन, सेक्टर-11, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई – 400614 (बाद में क्रेता के रूप में संदर्भित) प्रत्येक निविदा के साथ संलग्न "निविदा आमंत्रण सूचना" और "मद विवरण" में निर्धारित मदों की आपूर्ति के लिए निविदाएं आमंत्रित करता है। i. यदि संविदा / करार रखा गया है तो वह IRS-KR के संविदा / करार के नियम और शर्तें नवीनतम संस्करण द्वारा शासित होगा ii. मैन्युअल निविदाओं के लिए निविदाकारों को निर्देश iii. सामान्य निविदा शर्तें और

	iv. संविदा / करार की विशेष शर्तें।
1.2	ई-बोली के स्थान पर बोली
2.0	निविदा दस्तावेज और निविदा लागत:-
2.1	KRCL द्वारा जारी नकद रसीद पर निविदा प्रपत्र भंडार नियंत्रक, 8वीं मंजिल, रायगड भवन, सेक्टर-11, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई – 400614 से प्राप्त किए जा सकते हैं। या निविदा प्रपत्र वेबसाइट www.konanrailway.gov.in से भी डाउनलोड किए जा सकते हैं निविदा लागत का भुगतान निम्नलिखित तरीकों से किया जा सकता है:- I. प्रत्यक्ष रूप में : a) कोई बदलाव नहीं b) कोई बदलाव नहीं डिमांड ड्राफ्ट/नकद रसीद बोली के साथ संलग्न की जाए। यदि निविदा लागत का भुगतान विधियों (ए) और (बी) द्वारा किया जाता है। II. इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म a) कोई बदलाव नहीं III. कोई बदलाव नहीं IV. निविदा लागत के भुगतान से छूट :- a) "अपलोड सुपाठ्य स्कैन" के स्थान पर "संलग्न सुपाठ्य" b) कोई बदलाव नहीं
2.2	लागू नहीं
2.3	लागू नहीं
2.4	लागू नहीं
3.0	(शीर्षक के साथ प्रतिस्थापित) प्रस्ताव प्रस्तुत करना और निविदाएं भरना-
3.1	सीलबंद निविदाएं निविदाकार या उसके प्रतिनिधि द्वारा भंडार नियंत्रक कार्यालय, KRCL में रखे गए टेंडर बॉक्स में खुलने की निर्धारित तिथि को 15.00 बजे से पहले डाली जानी चाहिए। 15.00 बजे निविदा बॉक्स को बंद कर दिया जाएगा और

	सील कर दिया जाएगा। निविदाएं उसी तिथि को 15.30 बजे खोली जाएंगी। निविदाकर्ता या उनके प्रतिनिधि यदि वे चाहें तो विज्ञापित निविदाओं स्पेशल लिमिटेड के उद्घाटन में भाग ले सकते हैं।
3.2	निविदाएं सीलबंद लिफाफे में भंडार नियंत्रक, कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड, 8वीं मंजिल, रायगड भवन, सेक्टर-11, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई - 400614 के पते पर जमा की जानी चाहिए और स्पष्ट रूप से "निविदा संख्या" शब्दों के साथ सुपर स्क्राइब किया जाए मेसर्स _____ से आपूर्ति के लिए _____ को _____ बजे खोला जाना है।
3.3	लागू नहीं
3.4	कोई बदलाव नहीं
3.5	सशर्त छूट को परस्पर स्थिति का निर्धारण करने के लिए विचार नहीं किया जाएगा अर्थात बिना किसी शर्त के उद्धृत दर (मात्रा, भुगतान, निरीक्षण एजेंसी, गंतव्य वितरण स्थान आदि से जुड़ी छूट/छूट) पर केवल मूल्यांकन उद्देश्य के लिए विचार किया जाएगा। दूसरे शब्दों में, परस्पर स्थिति का निर्धारण करने के लिए मात्राओं, शीघ्र भुगतान आदि से जुड़ी रियायती दरों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। क्रेता, तथापि, सफल निविदाकारों को काउंटर ऑफर के लिए, व्यावहारिक और उपयुक्त समझी जाने वाली रियायती दर/दरों का उपयोग करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
3.6	कोई बदलाव नहीं
3.7	कोई बदलाव नहीं
3.8	कोई बदलाव नहीं
3.9	कोई बदलाव नहीं
3.10	कोई बदलाव नहीं
3.11	कोई बदलाव नहीं
3.12	निविदा प्रपत्र हस्तांतरणीय नहीं है
3.13	ऑफ़र (दर पेज के स्थान पर)

3.14	लागू नहीं
3.15	कोई बदलाव नहीं
4.0	ड्राइंग और स्पेसिफिकेशन
4.1	www.konanrailway.gov.in (IREPS के स्थान पर) a) कोई बदलाव नहीं b) कोई बदलाव नहीं
4.2	संलग्न किया जाए (अपलोड किए जाने के स्थान पर)।
5.0	संलग्न (अपलोड के स्थान पर) तथा ई-बोली के स्थान पर बोली लगायें निम्नलिखित दस्तावेजों को बोली के साथ संलग्न किया जाना चाहिए (अपलोड किए जाने के स्थान पर): संलग्न किया जाना है (अपलोड किए जाने के स्थान पर) a) कोई बदलाव नहीं b) कोई बदलाव नहीं c) कोई बदलाव नहीं d) कोई बदलाव नहीं e) कोई बदलाव नहीं f) ईएमडी का भुगतान करने का प्रमाण और निविदा लागत या छूट/छूट के पक्ष में आधार संलग्न किया जाना है।
5.1	विक्रेता के लिए विशेष शर्तों/चेकलिस्ट का अनुपालन: बोलीदाताओं से अनुरोध है कि निविदा शर्तों का पालन करने के लिए जमा करने से पहले निविदा फॉर्म की जांच करें। इस प्रयोजन के लिए एक जांच सूची अनुबंध में दी गई है।
6.0	बोली प्रस्तुत करना
6.1	उद्धृत दरों को शब्दों और अंकों दोनों में लिखा जाना चाहिए। शब्दों में न दी गई दरों के प्रस्ताव अस्वीकार किए जा सकते हैं। अंतर की स्थिति में, शब्दों में लिखी गई दर और अंकों में लिखी गई दर, शब्दों में लिखी गई दर पर रैंकिंग के उद्देश्य से विचार किया जाएगा। हालांकि, ऑर्डर देते समय रेलवे के पास दोनों की न्यूनतम दर प्राप्त करने का अधिकार सुरक्षित है। जो फर्म अपने ऑफर फॉर्म में अलग-अलग जगहों पर दो दरें उद्धृत करती हैं,

	उस फर्म के प्रस्ताव को व्यावसायिक रूप से अनुत्तरदायी माना जाएगा और सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।
6.2	उचित प्रमाणीकरण के बिना मिटाए गए/अधिक लिखित दर के साथ प्राप्त निविदाएं और प्रत्येक सुधार पर निविदाकर्ता द्वारा उचित सत्यापन के बिना अस्वीकार कर दिया जा सकता है।
6.3	अहस्ताक्षरित प्रस्तावों को अनुत्तरदायी माना जाएगा और सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।
6.4	विलंबित और विलंबित निविदाएं: देर से और विलंबित निविदाओं को सामान्य नियम के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा और इसे सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।
7.0	निविदा खोलना
7.1	लागू नहीं
7.2	टेंडर बॉक्स रेलवे के दो अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रक्रिया के अनुसार समापन समय के बाद खोला जाएगा।
7.3	समय पर प्रस्ताव जमा करने वाली फर्मों के एक अधिकृत प्रतिनिधि को निविदा खोलने के दौरान उपस्थित रहने की अनुमति दी जा सकती है। केवल खुली और विशेष सीमित निविदाओं के लिए।
7.4	लागू नहीं
7.5	रेलवे अपने नियंत्रण से बाहर के कारणों से अंतिम तिथि और समय के तुरंत बाद निविदा खोलने की गारंटी नहीं देता है और इसलिए निविदाएं नियत तारीख और समय के बाद भी खोली जा सकती हैं। तथापि, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि निविदा की अंतिम तिथि और समय के बाद कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जाएगा।
7.6	कोई बदलाव नहीं
8.0	बयाना राशि जमा : अंतिम पंक्ति में ई-निविदा के स्थान पर निविदा।
8.1	छूट: अपलोड के स्थान पर संलग्न तथा स्कैन के स्थान पर सुपाठ्य
8.2	कोई बदलाव नहीं

8.3	बयाना राशि की जब्ती : कोई बदलाव नहीं
8.4	कोई बदलाव नहीं
9.0	प्रतिभूति जमा
9.1	कोई बदलाव नहीं
9.2	कोई बदलाव नहीं
9.3	कोई बदलाव नहीं
9.4	कोई बदलाव नहीं
9.5	कोई बदलाव नहीं
9.6	कोई बदलाव नहीं
9.7	लागू नहीं
9.8	कोई बदलाव नहीं

कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड

सामग्री प्रबंधन विभाग

कोंकण रेलवे

भंडार नियंत्रक का कार्यालय,

8वीं मंजिल, रायगड भवन, सेक्टर-11,

सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई – 400614.

मैनुअल निविदाओं के लिए निविदा अनुसूची

निविदा संख्या _____ _____ को देय है

निविदाकारों से अनुरोध है कि कॉलमों को ठीक से भरें, ऐसा न करने पर उनके प्रस्ताव को अनदेखा किया जा सकता है।

निविदाकर्ता द्वारा भरा जाना है

1	परेषिती			
2	निविदा मात्रा			
3	पेशकश की गई मात्रा			
4	a) मूल दर प्रति यूनिट (रुपये में) b) छूट (% में और रुपये में)			
5	* पैकिंग चार्ज / यूनिट			
6	अग्रेषण प्रभार/इकाई			
7	पैकिंग और अग्रेषण शुल्क सहित कुल दर / इकाई			
8	उत्पाद शुल्क (% में और रुपये में)			
9	ED सहित कुल दर			
10	बिक्री कर: सीएसटी/राज्य (% में और रुपये में)			
11	फ्रेट प्रति यूनिट (रुपये में)	(संख्या में)		
		(शब्दों में)		

12	कोई अन्य शुल्क: (कृपया निर्दिष्ट करें)		
13	कुल इकाई दर (रुपये में)		
14	वितरण अवधि		
15	निरीक्षण		
16	भुगतान की शर्तें		

*यदि यह शुल्क ईडी और एसटी के अधीन नहीं है, तो इसे क्रम संख्या 12 में अलग से दर्शाया जाना चाहिए।

मैं/हम कोंकण रेलवे को उपरोक्त निर्दिष्ट वस्तुओं की आपूर्ति करने के लिए वचनबद्ध हैं (1) निविदाकर्ता को निर्देश (2) सामान्य शर्तें (3) विशेष शर्तें और (4) IRS-KR संविदा / करार की शर्तें के अनुसरो। प्रस्ताव निविदा खुलने की तिथि से 90 दिनों के लिए वैध है।

भंडार नियंत्रक द्वारा इस निविदा की स्वीकृति, वैधता के भीतर सूचित किए जाने पर, मेरे/हमारे और KRCL के बीच एक बाध्यकारी संविदा / करार होगा।

निविदाकर्ता का नाम और हस्ताक्षर
पूरा पता:
फोन नंबर / फैक्स नंबर
दिनांक:

सामान्य निविदा शर्तें

1.0 बिक्री कर / वस्तु एवं सेवा कर

1.1. बिक्री कर/GST, उस पर अधिभार के साथ, यदि कोई हो, सटीक प्रतिशत में स्पष्ट रूप से विभिन्न राज्यों में स्थित विभिन्न परेषितियों के लिए लागू प्रस्तावों में दिखाया जाना चाहिए। स्पष्ट संकेत के अभाव में/कोई संकेत नहीं है कि ये लेवी उद्धृत दरों के अतिरिक्त देय हैं, यह मान लिया जाएगा कि दरें सभी करों सहित/कोई बिक्री कर/GST लागू नहीं है।

1.2. निविदाकर्ता को स्पष्ट रूप से अपने बिक्री कर/जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या का संकेत देना चाहिए और घोषणा प्रस्तुत करनी चाहिए कि "यह प्रमाणित है कि बिक्री कर/GST जैसा दावा किया गया है, खरीदारों द्वारा कानूनी रूप से देय है और हमारे द्वारा बिक्री कर/GST प्राधिकरणों को भुगतान कर दिया गया है/भुगतान किया जाएगा।"

1.3. GST के लिए उद्धृत करते समय, निविदाकार को सेट ऑफ/इनपुट टैक्स क्रेडिट को पास करना चाहिए (कीमतों में कमी के माध्यम से) जो उन्हें GST की प्रणाली में स्विच करने के लिए उपलब्ध हो जाएगा, जिसमें वस्तु की प्रति यूनिट इस तरह के क्रेडिट की मात्रा को विधिवत बताया जाएगा। निविदाकर्ता को निविदाओं के लिए अपनी दरें उद्धृत करते समय निम्नलिखित घोषणा देनी चाहिए: “हम इस तरह के अतिरिक्त सेट ऑफ / इनपुट टैक्स क्रेडिट को पारित करने के लिए सहमत हैं, जो भविष्य में GST के तहत आपूर्ति की तारीख पर अंतिम उत्पाद के निर्माण में उपयोग किए गए सभी इनपुट के सबंध में क़ीमत में कमी के माध्यम से उपलब्ध हो सकते हैं और खरीदार को तदनुसार सलाह देते हैं।"

सभी मामलों में, भुगतान प्राधिकारी को भुगतान का दावा करते समय आपूर्तिकर्ता निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा:

"हम एतद्द्वारा घोषित करते हैं कि _____ रुपये के अतिरिक्त सेट ऑफ / इनपुट टैक्स क्रेडिट अर्जित किए गए हैं और तदनुसार, इसे क्रेता को दिया जा रहा है और उस प्रभाव के लिए देय राशि को समायोजित किया जा सकता है।"

1.4. हालांकि, इन निविदा दस्तावेजों को जमा करना चाहे डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित हो या मैन्युअल रूप से हस्ताक्षरित हो, बिना किसी विचलन के पूर्वोक्त घोषणा को प्रस्तुत करने के रूप में माना जाएगा।

1.5. हालांकि, KRCL गलत वर्गीकरण के कारण आपूर्तिकर्ता द्वारा भुगतान किए गए किसी भी कर या शुल्क का भुगतान नहीं करेगा।

1.6. भविष्य में बिक्री कर/GST में कोई भी वैधानिक केवल मूल सुपुर्दगी अवधि के भीतर स्वीकार्य होने के लिए उत्तरदायी है, जो केवल दस्तावेजी प्रमाण और सरकारी अधिसूचनाओं के प्रस्तुति के अधीन है और फर्म के प्रमाण और में उसी के संकेत के अधीन है।

2.0 प्रवेश कर/निकास कर/चुंगी शुल्क:

खरीदार कोई चुंगी शुल्क नहीं देगा, और यदि आवश्यक हो तो केवल चुंगी छूट प्रमाण पत्र जारी करेगा। यदि संबंधित नगरपालिका प्राधिकरण द्वारा चुंगी छूट प्रमाणपत्र का सम्मान नहीं किया जाता है, और चुंगी शुल्क देय हो जाता है, तो आपूर्तिकर्ता को संविदा / करार की आईआरएस-केआर शर्तों के अनुसार चुंगी शुल्क देना होगा।

3.0 प्राइस वेरिएशन क्लॉज़

3.1. रेलवे आम तौर पर निश्चित दर संविदा /करार करता है।

3.2. हालांकि, स्टोर की खरीद के मामले हो सकते हैं, जो कच्चे माल (स्टील / अलोहा) गहन वस्तुएं हैं, जिसमें निविदा अनुसूची में ही प्राइस वेरिएशन क्लॉज़ का संकेत होगा, आमतौर पर निम्नलिखित मान्यता प्राप्त फार्मूले के आधार पर।

a) IEEMA फॉर्मूला द्वारा कवर की गई वस्तुओं के लिए IEEMA PVC।
b) रेलवे बोर्ड/CORE का PVC फॉर्मूल शामिल मदों के लिए।
c) HCL, HZL, SAIL, LME, BME आदि की कीमतों पर आधारित PVC।
d) WPI पर आधारित PVC

निविदाकारों को सलाह दी जाती है कि वे निविदा अनुसूची में दिए गए विशिष्ट प्राइस वेरिएशन क्लॉज़ फॉर्मूले के अनुसार बोली लगाएं। निविदा अनुसूची में निर्धारित प्राइस वेरिएशन क्लॉज़ फॉर्मूले में भिन्नता दर्शाए गयी ऑफर और इनपुट कच्चे माल की कीमतों की आधार तिथि सरसरी तौर पर खारिज कर दी जाएगी। जहां

रेलवे ने पूर्व-निर्धारित PVC को शामिल किया है, वहां निश्चित मूल्य के साथ बोली लगाने वाले निविदाकारों के प्रस्तावों को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा।

3.3. यदि निविदा अनुसूची में केआरसीएल द्वारा कोई प्राइस वेरिएशन क्लॉज़ शामिल नहीं किया गया है, तो निविदाकारों को केवल निश्चित दर के आधार पर ही उद्धरण देना चाहिए। ऐसे मामलों में PVC क्लॉज के साथ बोली लगाने वाले निविदाकारों के प्रस्तावों को सरसरी तौर पर नजरअंदाज कर दिया जाएगा।

3.4. उन वस्तुओं के लिए, जो उपरोक्त किसी भी PVC द्वारा कवर नहीं की जाती हैं, ऐसे स्टोर के लिए विशिष्ट अन्य PVC (उदाहरण के लिए सीमा शुल्क / विदेशी मुद्रा में भिन्नता के अधीन आयात आइटम) पर विचार किया जा सकता है और यदि सही पाया जाता है तो स्वीकार किया जा सकता है।

3.5. निविदाकार जो निविदाओं में कच्चे माल के कारण मूल्य वृद्धि के साथ बोली लगाते हैं, कृपया ध्यान दें कि इस तरह के वृद्धि दावों को KRCL के वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी द्वारा उन अभिलेखों के संदर्भ में सत्यापन के अधीन किया जाएगा जो उनसे मांगे जा सकते हैं। सफल निविदाकारों को, उनके दावों को स्वीकार करने से पहले मूल्य वृद्धि के तहत उनके दावों के सत्यापन/जांच के लिए बिल जमा करते समय पूरा रिकॉर्ड प्रस्तुत करना होगा। यदि निविदाकर्ता FA&CAO/KRCL के समक्ष असंतोषजनक रिकॉर्ड प्रस्तुत करके अपना दावा स्थापित करने में विफल रहता है, तो उनका दावा अस्वीकार कर दिया जाएगा और / या आनुपातिक रूप से कम कर दिया जाएगा।

3.6. संपूर्ण या अलग करने योग्य संविदा / करार के मामले में चरणबद्ध सुपुर्दगी अनुसूची के साथ PVC दावा यदि कोई हो, उस अवधि में पूरा करने के लिए आवश्यक आपूर्ति की उस विशेष मात्रा के लिए प्रतिबंधित किया जाएगा, जैसा कि मूल सुपुर्दगी अनुसूची में दर्शाया गया है, इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना, की आपूर्ति संविदा/करार की समग्र सुपुर्दगी अनुसूची के भीतर बाद में की गई/पूरी कर दी गई है।

4.0 डिनामाल क्लॉज

आपूर्तिकर्ता खरीद आदेश के अनुसार मूल सुपुर्दगी अवधि की समाप्ति के बाद घोषित GST और अन्य करों में वैधानिक भिन्नताओं के किसी भी लाभ के हकदार नहीं होंगे।

5.0 कार्टेल गठन

a) निविदाकारों से अपेक्षा की जाती है कि वे स्वतंत्र रूप से सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी कीमतों को उद्धृत करें।

b) जहां कहीं भी सभी या अधिकतर अनुमोदित फर्में समान दरों की बोली लगाती हैं और कार्टेल गठन का संदेह होता है, क्रेता के पास बिना कोई कारण बताए एक या एक से अधिक फर्मों को शेष को छोड़कर ऑर्डर देने का अधिकार सुरक्षित है। एक या एक से अधिक फर्मों का चयन पिछले प्रदर्शन रिकॉर्ड, योग्यथा, क्षमता, गुणवत्ता प्रदर्शन, बिक्री के बाद सेवा प्रतिक्रिया आदि के आधार पर हो सकता है, बशर्ते दरों को उचित माना जाए।

c) फर्मों से अपेक्षा की जाती है कि वे निविदा मात्रा के 50% से कम की मात्रा के लिए बोली नहीं लगाएं। निविदा मात्रा के 50% से कम मात्रा के प्रस्तावों को अनुत्तरदायी माना जाएगा और कार्टेल फॉर्मेशन के संदिग्ध होने की स्थिति में अस्वीकार करने के लिए उत्तरदायी माना जाएगा। हालांकि रेलवे किसी भी मात्रा के लिए एक या अधिक फर्मों को ऑर्डर करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

d) कार्टेल में बोली लगाने वाली फर्मों को चेतावनी दी जाती है कि उनके नाम अनुमोदित स्रोतों की सूची से हटाए जा सकते हैं।

e) जहां कहीं भी अनुमोदित स्रोतों से कार्टेल के गठन का संदेह होता है, रेलवे भाग-II स्रोतों और नए स्रोतों पर क्रमशः 25% / 15% और 5% की सीमा से अधिक आदेश देने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

6.0 सामान का निरीक्षण

a) मदे का निरीक्षण RITES/RDSO/DQA/Consignee/RA, बर्लिन (आयातित प्रेषित माल के लिए) द्वारा केवल निर्माता के कार्यस्थल पर किया जाना है। केवल MTC / GC के तहत निरीक्षण सामान्यतः स्वीकार्य नहीं है। निविदा में इंगित निरीक्षण क्लॉज की निविदाकार की स्वीकृति तब तक मानी जाएगी, जब तक कि प्रस्ताव में कोई अन्य निरीक्षण क्लॉज निर्धारित न हो। निविदा निरीक्षण क्लॉज से कोई भिन्नता स्वीकार्य नहीं है।

b) रेलवे के लिए विशेष सामग्री जैसे कच्चे माल को छोड़कर रोलिंग स्टॉक के पुर्जे और फिटिंग, जो निरीक्षण के दौरान सही किए हुए पाए गए हैं और जिन्हें ठीक नहीं किया जा सकता है, ऐसी अस्वीकृत सामग्री के पुनर्चक्रण से बचने और अंतिम विफलताओं से बचने के लिए निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा विरूपित किया जाना आवश्यक है। रेलवे को फिर से बिक्री से रोकने के लिए रेलवे के लिए विशिष्ट ऐसी सभी अस्वीकृत सामग्री को यांत्रिक रूप से विरूपित किया जाना चाहिए।

c) यदि फर्म निरीक्षण एजेंसी को जारी किए गए निरीक्षण कॉल के अनुसार निरीक्षण के लिए सामग्री की पेशकश करने में विफल रहती हैं या यदि निरीक्षण एजेंसी द्वारा फर्म के परिसर में सामग्री की अस्वीकृति के कारण सामग्री का पुन: निरीक्षण किया जाना है या निरीक्षण प्रमाण पत्र की वैधता के भीतर सामग्री का प्रेषण न होने के कारण, प्रस्तावित मात्रा के लिए लागू निरीक्षण शुल्क और वास्तविक परीक्षण शुल्क का भुगतान आपूर्तिकर्ता द्वारा निरीक्षण एजेंसी को किया जाएगा।

d) यदि व्यापारियों / एजेंटों को उन वस्तुओं के लिए खरीद आदेश दिए जाते हैं, जो रेलवे के लिए विशेष हैं, तो व्यापारियों / एजेंटों को आपूर्ति का स्रोत का दर्शन चाहिए और सामग्री की गुणवत्ता की वास्तविकता सुनिश्चित करने के लिए व्यापारियों / एजेंटों के परिसर के बजाय उनके निर्माता के परिसर में निरीक्षण किया जाना चाहिए। उपरोक्त शर्तें उन मदों के लिए लागू नहीं होंगी जहां MTC/GC के अनुसार निरीक्षण किया जा रहा है या अत्यावश्यकता को देखते हुए परेषिती द्वारा किया जा रहा है।

e) आपूर्ति की गई सामग्री का अंतिम निरीक्षण और स्वीकृति सामग्री प्राप्त होने के बाद परेषिती द्वारा की जाएगी।

f) परीक्षण प्रमाण पत्र: यदि विनिर्देश में परीक्षण निर्धारित किए गए हैं, तो सफल निविदाकर्ता के लिए निर्माता का परीक्षण प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है या स्टोर की आपूर्ति के साथ निविदा में निर्दिष्ट कोई अन्य परीक्षण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य। परीक्षण प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में उनकी असमर्थता की स्थिति में, किए जाने वाले परीक्षण की लागत निविदाकर्ता के खाते में होगी।

7.0 सामग्री का अंकन

निविदाकर्ता को घटकों/सामग्री की कार्यात्मक उपयोगिता और संरचनात्मक स्थिरता को प्रभावित किए बिना, आपूर्ति किए गए प्रत्येक टुकड़े के उपयुक्त स्थान पर कास्टिंग/स्टाम्पिंग/नक़्क़ाशी/एम्बॉसिंग द्वारा निर्माता का नाम, निर्माण का महीना और वर्ष इंगित करने के लिए सहमत होना चाहिए। तथापि, यदि घटक/वस्तु के आकार में छोटा होने या किसी अन्य कारण से यह संभव नहीं है, तो निविदाकार को अपने प्रस्ताव में इसका उल्लेख करना चाहिए।

8.0 भुगतान की शर्तें

8.1. कोंकण रेलवे की सामान्य भुगतान शर्त प्रेषिती द्वारा सामग्री की प्राप्ति और स्वीकृति के बाद 100% भुगतान है। अनुबंध में उल्लिखित निर्धारित दस्तावेजों के साथ बिल जमा करने पर ठेकेदार को पूर्ण स्टोर या उसके प्रत्येक खेप का भुगतान किया जाएगा।

8.2. 95% + 5% भुगतान

8.2.1) स्टोर या उसके प्रत्येक माल के लिए 95% भुगतान निरीक्षण प्रमाण पत्र और प्रेषण के प्रमाण के अनुसार किया जाएगा। सड़क मार्ग से सामग्री के प्रेषण के लिए, माल की प्राप्ति के लिए परेषिती/डिपो अधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित आपूर्तिकर्ता का चालान भुगतान के उद्देश्य के लिए प्रेषण का प्रमाण होगा। रेल प्रेषण के लिए, स्पष्ट और अयोग्य आरआर/पी वे बिल को प्रेषण के प्रमाण के रूप में माना जा सकता है।

8.2.2) शेष 5%, भुगतान प्राप्तकर्ता द्वारा स्टोर की प्राप्ति और स्वीकृति पर किया जाएगा, रसीद नोट प्रदान करके दर्शाया जाएगा। दूसरे शब्दों में, रसीद नोट के लिए शेष 5% भुगतान किया जाएगा।

8.3. हालांकि, 5 लाख रुपये तक के ऑर्डर के लिए, माल की प्राप्ति और स्वीकृति के अनुसार 100% भुगतान, यानी रसीद नोट के अनुसार, को प्राथमिकता दी जाएगी।

8.4. योग्य मामलों में, मौजूदा नियमों और प्रक्रियाओं के ढांचे के भीतर 98% / 2% भुगतान पर भी विचार किया जा सकता है।

8.5. मशीनरी और संयंत्र वस्तुओं के लिए: निरीक्षण प्रमाण-पत्र और परेषिती/डिपो अधिकारी द्वारा प्रमाणित आपूर्तिकर्ता के चालान के अनुसार प्रेषिती की ओर से अच्छी और स्वीकार्य स्थिति में मशीन प्राप्त होने के बाद 80% भुगतान की अनुमति दी जाएगी। शेष 20% भुगतान मशीन की सफल स्थापना, कमीशनिंग और परीक्षण पर किया जाएगा और साथ ही मशीनरी या संयंत्र के मूल्य के 10% के लिए ठेकेदार के वारंटी दायित्वों के लिए बैंक गारंटी प्रस्तुत की जाएगी।

8.6. निर्दिष्ट दिनों के भीतर जल्दी भुगतान और/या रसीद नोट आदि के जल्दी देने से जुड़ी छूट/छूट पर प्रस्तावों की परस्पर रैंकिंग के निर्धारण के लिए विचार नहीं किया जाएगा। हालांकि, KRCL इस तरह की छूट/छूट का लाभ उठाने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

9.0 ECS / EFT के माध्यम से भुगतान

a) निविदाकर्ता को ECS / EFT (अनुलग्नक 3.6) के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने के लिए एक आदेश प्रपत्र में सहमति देनी चाहिए।

b) निविदाकर्ता को इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप बैंक खाते का विवरण प्रदान करना चाहिए। इन विवरणों में बैंक का नाम, शाखा का नाम और पता, खाता प्रकार, बैंक खाता संख्या, और बैंक और शाखा कोड शामिल होगा जैसा कि बैंक द्वारा जारी MICR चेक पर प्रदर्शित होता है।

c) निविदाकर्ता को उपरोक्त सभी सूचनाओं की सत्यता को प्रमाणित करते हुए अपने बैंक से प्रमाण पत्र संलग्न करना चाहिए।

d) ECS/EFT के माध्यम से भुगतान न करने की स्थिति में या जहां ECS/EFT सुविधा उपलब्ध नहीं है; भुगतान योग्यता के आधार पर चेक के माध्यम से जारी किया जा सकता है। हालांकि, ECS के माध्यम से भुगतान बेहतर है।

e) खरीद आदेश में फर्म द्वारा प्रस्तुत विवरण के अनुसार निम्नलिखित विवरण शामिल होंगे;

i. खाता संख्या (प्रकार)
ii. बैंक का नाम और कोड।
iii. शाखा का नाम और पता
iv. भुगतान ECS/EFT या चेक के माध्यम से है या नहीं।

10.0 मूल्य वरीयता

क्रेता के पास समय-समय पर सरकार की नीतियों के अनुसार अन्य फर्मों की तुलना में लघु उद्योग / कुटीर उद्योग इकाइयों के प्रस्तावों को मूल्य वरीयता देने का अधिकार सुरक्षित है। तथापि, मूल्य वरीयता को हल्के में नहीं लिया जा सकता है और निविदाकर्ता द्वारा लागत कम करने और प्रतिस्पर्धात्मकता हासिल करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

11.0 समय वरीयता क्लॉज़

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यदि पहले की डिलीवरी के प्रस्ताव पर विचार करते हुए कम स्वीकार्य प्रस्ताव के बजाय निविदा के आमंत्रण के परिणामस्वरूप एक उच्च निविदाकर्ता पर एक संविदा / करार रखा जाता है, तो ठेकेदार सरकार को संविदा / करार दर के बीच अंतर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और माल GST, बिक्री कर, स्थानीय कर, शुल्क और अन्य आकस्मिकताओं के सभी तत्वों सहित अंतिम मूल्य F.O.R गंतव्य के आधार पर न्यूनतम स्वीकार्य निविदा, इस तरह के संविदा / करार के अनुसार आपूर्ति को पूरा करने में विफलता के मामले में संविदा / करार में निर्दिष्ट डिलीवरी की तारीख के भीतर और संविदा / करार में शामिल है।

ISI चिह्नित माल को वरीयता: ISI मार्क वाले सामान को गैर-IREPS मार्क वाले सामानों पर वरीयता दी जाएगी। फर्म निविदा के साथ BIS प्रमाणन की प्रति अपलोड/प्रस्तुत करें।

12.0 सुपुर्दगी सारणी :

a) निविदाकारों को केआरसीएल द्वारा दिए गए डिलीवरी शेड्यूल को टेंडर शेड्यूल / ऑफर फॉर्म में नोट करना होगा और तदनुसार बोली लगानी होगी। डिलीवरी शेड्यूल वाले ऑफ़र, जो KRCL की आवश्यकता से मेल नहीं खाते हैं, को नज़रअंदाज किया जा सकता है। 2/3 सप्ताह आदि जैसी अस्पष्ट डिलीवरी शर्तों से बचा जाना चाहिए और यदि उद्धृत किया गया तो केआरसीएल की आवश्यकता के लिए व्यावसायिक रूप से अनुत्तरदायी के रूप में लिया जा सकता है और अनदेखा किया जा सकता है।

b) खरीद आदेश में निर्दिष्ट समय और डिलीवरी की तारीख संविदा / करार का सार है। आपूर्ति जल्दी शुरू होनी चाहिए और उसके बाद आवश्यक किश्तों में पूरी की जानी चाहिए।

c) जब तक अन्यथा सहमति न हो, सुपुर्दगी अवधि की गणना क्रेता द्वारा जारी क्रय आदेश की प्राप्ति की तिथि से की जाएगी। आदेश प्राप्त होने की तिथि आदेश की तिथि को जोड़ के सात दिन के रूप में निर्धारित की जाएगी।

13.0 लिक्विडेटेड डैमेज

KRCL के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह सहमत लिक्विडेटेड डैमेज के रूप में ठेकेदार से वसूली करे, न कि जुर्माने के रूप में, किसी भी स्टोर की कीमत के 2% के बराबर राशि (कर, शुल्क, माल ढुलाई, आदि के तत्वों सहित) जो ठेकेदार संविदा / करार में डिलीवरी के लिए निर्धारित अवधि के भीतर या प्रत्येक महीने या महीने के हिस्से के लिए विस्तारित अवधि के भीतर वितरित करने में विफल रहा है जिसके दौरान ऐसे स्टोरों की सुपुर्दगी बकाया हो सकती है, जहां उनकी सुपुर्दगी पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति के बाद स्वीकार की जाती है, विलंबित आपूर्ति के मूल्य के अधिकतम 10% (दस प्रतिशत) के अधीन। यह संविदा / करार की शर्तों के तहत अन्य अधिकारों के अतिरिक्त और बिना किसी पूर्वाग्रह के है।

14.0 सुपुर्दगी की शर्तें:

a) प्रेषण का तरीका विशेषतः सड़क/व्यक्तिगत कूरियर सेवा द्वारा सीधे संबंधित परेषिती को भेजा जाना चाहिए।

b) आपूर्तिकर्ताओं को स्पष्ट रूप से उद्धृत करना चाहिए- शर्तों के लिए अर्थात प्रेषण का स्टेशन या गंतव्य। यदि फर्म का प्रस्ताव गंतव्य के लिए है, तो लागू भाड़ा प्रभार स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए।

c) ट्रांजिट में जोखिम के लिए ट्रांजिट बीमा की व्यवस्था आपूर्तिकर्ता द्वारा की जानी चाहिए, क्योंकि ऐसे सभी मामलों में परिवहन में जोखिम आईआरएस-केआर शर्तों के अनुसार आपूर्तिकर्ता के पास है।

d) यदि निविदाकर्ता EX-WORKS या EX-Godown दर का उद्धरण करता है, तो उन्हें निरपवाद रूप से कुल भाड़ा प्रभार अर्थात अपने स्थल/गोदाम से सुपुर्दगी स्थल तक का उल्लेख करना चाहिए। यदि कोई निविदाकार अपने प्रस्ताव में सुपुर्दगी के स्थान के बारे में विशेष रूप से कुछ भी दर्ज नहीं करता है तो यह माना जाएगा कि निविदाकर्ता भाड़ा वहन करेगा और यह प्रस्ताव डिलीवरी स्थान पर मुफ्त सुपुर्दगी के लिए है। यह धारणा अंतिम और निविदाकर्ता के लिए बाध्यकारी होगी और भविष्य में किसी भी कानूनी विवाद या मध्यस्थता के अधीन नहीं होगी।

e) जो फ़र्म F O R स्टेशन ऑफ़ डिस्पैच के आधार पर स्टोर को सड़क मार्ग से भेजने की पेशकश करती हैं, लेकिन गंतव्य तक प्रीपेड भाड़ा, ऐसे भाड़ा शुल्क की प्रतिपूर्ति की मांग कर सकती हैं। इस तरह की प्रतिपूर्ति वास्तविक रूप से और दस्तावेजी प्रमाण के अनुसार, उनके द्वारा बताए गए माल ढुलाई शुल्क की ऊपरी सीमा के भीतर या यात्री ट्रेन द्वारा रेल भाड़ा, जो भी कम हो, के भीतर की जाएगी। हालांकि, प्रस्तावों के मूल्यांकन के लिए, यह उद्धृत भाड़ा है, जिस पर विचार किया जाएगा।

f) यदि रेल द्वारा सुपुर्दगी के लिए कोई भाड़ा उद्धृत नहीं किया जाता है, तो मूल्यांकन के उद्देश्य से वास्तविक रूप से रेल भाड़ा प्रभारों पर विचार किया जाएगा।

15.0 मूल्यांकन मानदंड

15.1. दरें:

a) वित्तीय आइाय प्रभाव वाले दर, कर, शुल्क, भाड़ा, बिना शर्त छूट आदि को केवल वित्तीय दर पृष्ठ पर उद्धृत किया जाना चाहिए (ई-निविदाओं के लिए निविदाकारों को निर्देश देखें)। अन्यत्र दर्शाए गए वित्तीय निहितार्थ वाली टिप्पणियों पर मूल्यांकन के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

b) पूर्वनिर्धारित (निर्धारित) पीवीसी क्लॉज वाले प्रस्तावों के मामले में, निविदा बंद होने की तिथि और समय के अनुसार PVC फॉर्मूले के अनुसार अद्यतन दरों को प्रस्तावों की परस्पर रैंकिंग निर्धारित करने के लिए लिया जाएगा।

c) किसी विशेष निविदा की आंशिक मात्रा के लिए अलग-अलग निविदाकारों द्वारा दी जाने वाली विभिन्न दरों के मामले में, केआरसीएल के पास ऑर्डर देने की सबसे किफायती प्रक्रिया तय करने का अधिकार सुरक्षित है।

d) प्रस्तावों की परस्पर रैंकिंग का निर्धारण निविदा समापन की तिथि पर प्रचलित वैधानिक करों और शुल्कों और PVC क्लॉज़ के प्रभाव के साथ किया जाएगा।

15.2. एकाधिक परोषित /एकाधिक मद के निविदाओं के लिए मूल्यांकन मानदंड

a) जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न हो, निविदा का मूल्यांकन मदवार और परेषिती के अनुसार किया जाएगा।

b) बहु परेषिती मदों के लिए, प्रत्येक परेषिती के लिए अलग-अलग गंतव्य के आधार पर फर्म द्वारा स्वतंत्र दरे उद्धृत की जानी चाहिए। प्रत्येक परेषिती के लिए प्रस्तावों की परस्पर रैंकिंग अलग से तय की जाएगी।

c) निविदाओं में जहां अनुसूची में कई मदें शामिल हैं, प्रत्येक मद के लिए अलग-अलग रैंकिंग तय की जाएगी। फर्मों को प्रत्येक वस्तु के लिए अलग-अलग दर उद्धृत करना आवश्यक है।

d) निविदाओं में जहां कई मदों को "किट" या "सेट" में समूहित किया जाता है और निविदा मात्रा सेट में होती है, फर्म को निविदा किट/वस्तुओं के सेट के लिए एकल दर उद्धृत करनी चाहिए। ऐसे मामलों में, वस्तुओं के "किट" या "सेट" के लिए फर्म द्वारा उद्धृत दर पर परस्पर रैंकिंग तय की जाएगी।

15.3. CLW/ DLW/ DCW/ ICF/ RCF/ RDSO/ CORE सीमित आइटम:

a) खरीद की नीति के अनुसार जहां कहीं भी आवश्यक होगा, थोक खरीद केवल उन्हीं फर्मों से की जाएगी जिन्हें CLW/ DLW/ DCW/ ICF/ RCF/ RDSO/ CORE आदि द्वारा ऐसे आदेश के लिए अर्थात भाग I विक्रेताओं को अनुमोदित किया गया है, निर्माण के लिए निविदा खोलने से पहले और वस्तु की आपूर्ति के जादा। फर्म की स्थिति की गणना निविदा खोलने की तिथि से की जाएगी और उसके बाद नहीं, बल्कि निविदा खोलने के बाद डाउनग्रेडिंग/हटाने/निलंबन/प्रतिबंध आदि के मामले में, प्रस्ताव पर विचार करते समय परिवर्तनों को ध्यान में रखा जाएगा।

b) CLW/ DLW/ DCW/ ICF/ RCF/ RDSO/ CORE द्वारा भाग-II विक्रेताओं के रूप में अनुमोदित फर्मों पर ऑर्डर सामान्य रूप से 15% मात्रा तक सीमित होंगे इसके अलावा, बोर्ड के पत्र संख्या 99/RS(G)/709/1 दिनांक 06-09-1999, 05-05-2008 द्वारा जारी निर्देश और उसके बाद जारी किए गए उस विषय पर पत्र का पालन किया जाना चाहिए।

c) यदि निविदाकर्ता फर्म (फर्मों) को CLW/ DLW/ DCW/ ICF/ RCF/ RDSO/ CORE का अनुमोदन नहीं है जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, भाग I और II के रूप में तो उन्हें अपने क्रेडेंशियल विवरण यानी मशीनरी और संयंत्र, परीक्षण सुविधाएं, QAP, तकनीकी कर्मचारीवर्ग आदि जमा करनी होगी।

योग्य मामलों में, CLW/ DLW/DCW/ ICF/ RCF/ RDSO/ CORE द्वारा उनकी क्षमता और सक्षमता की पुष्टि के बाद ही नए आपूर्तिकर्ताओं के प्रस्तावों पर शिक्षात्मक आदेशों के लिए विचार किया जा सकता है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अपेक्षित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहने पर उनके प्रस्ताव को अनदेखा कर दिया जाएगा।

d) भाग- II और भाग- I अनुमोदित स्रोत, जो आरडीएसओ / सीएलडब्ल्यू / डीएलडब्ल्यू / आईसीएफ / आरसीएफ / कोर / आदि अधिकृत नोडल एजेंसियों द्वारा परिचालित / जारी अनुमोदित विक्रेता सूची की सूची में शामिल हैं, अपने प्रदर्शन के समर्थन में पिछले तीन वर्षों में इस रेलवे और अन्य रेलवे पर विषय वस्तु के लिए उनके द्वारा प्राप्त और निष्पादित किए गए आदेशों (विधिवत निरीक्षण प्रमाण पत्र, रसीद नोट, भुगतान - प्राप्त विवरण जैसे दस्तावेजों के साथ समर्थित) का विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है।

e) सभी भाग- II अनुमोदित निविदाकारों को क्रय आदेश, निरीक्षण प्रमाण पत्र और रसीद नोट / प्रमाण पत्र की सत्यापित फोटोकॉपी, जो उनके द्वारा सफलतापूर्वक आपूर्ति की गई सामग्री की अधिकतम मात्रा से संबंधित है, पिछले तीन वर्षों में किसी भी क्षेत्रीय रेलवे /सार्वजनिक उपक्रम द्वारा उन्हें दिए गए किसी एक आदेश में जमा करना होगा। ऐसे निविदाकारों को यह नोट करना चाहिए कि ऐसे दस्तावेजों को जमा न करने को उनके पिछले प्रदर्शन के नहीं होने के रूप में माना जाएगा और उनके प्रस्तावों पर मौजूदा नियमों के अनुसार आगे विचार किया जाएगा और इस संबंध में उन्हें कोई बैक रेफरेंस नहीं दिया जाएगा।

f) हालांकि केआरसीएल के पास पिछले तीन वर्षों में कोंकण रेलवे के साथ फर्म के पिछले प्रदर्शन को संदर्भित करने का अधिकार सुरक्षित है।

15.4. OEM या उनके अधिकृत डीलरों / वितरकों से खरीदी जाने वाली सामग्री :

a) रेलवे OEM या उनके अधिकृत डीलरों को संपूर्ण या थोक मात्रा में ऑर्डर देने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

b) OEM की ओर से बोली लगाने वाली किसी भी फर्म को अपने प्रस्ताव के साथ वैध और वर्तमान डीलरशिप प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और नामित एजेंसी (जैसा भी मामला हो) द्वारा अपने प्रिंसिपल के परिसर में निरीक्षण के लिए सहमत होना चाहिए, ऐसा न करने पर उनका प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया जाएगा। अधिकृत एजेंट/वितरक मूल्य उस मूल्य से अधिक नहीं होगा जो निर्माता ने उद्धृत किया होगा।

c) ऐसे मामलों में निम्नलिखित को प्राथमिकता दी जाएगी:

1) संबंधित निर्माता के निर्माण परिसर में RITES/RDSO/नामांकित एजेंसी द्वारा निरीक्षण। RITES/RDSO/नामांकित एजेंसी निरीक्षण प्रमाण पत्र में स्पष्ट रूप से पुष्टि करेगी कि सामग्री का निरीक्षण वास्तव में निर्माताओं के निर्माण परिसर में किया गया है न कि डीलर के गोदाम/गोदाम/दुकान में।

2) RITES/RDSO द्वारा निरीक्षण और स्वीकृति के बाद निर्माता के परिसर से रेलवे परेषिती को सीधे प्रेषण।

3) आपूर्ति के प्रत्येक लॉट के साथ निर्माता का परीक्षण और गारंटी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना।

d) एक एजेंट दो आपूर्तिकर्ताओं का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है या किसी विशेष निविदा में उनकी ओर से बोली नहीं लगा सकता है।

15.5. समूह IV मद

a) KRCL इस मद के लिए NSIC पंजीकृत विक्रेताओं से पूरी मात्रा खरीदने का अधिकार सुरक्षित रखता है। फर्म को अपने प्रस्ताव के साथ निविदा वस्तु के लिए अपना वर्तमान और वैध NSIC प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, ऐसा न करने पर प्रस्ताव को अनदेखा किया जा सकता है।

b) यदि इस मद के लिए NSIC पंजीकृत विक्रेताओं से कोई उपयुक्त प्रस्ताव प्राप्त नहीं होता है, तो रेलवे Non-NSIC फर्मों से भी खरीद करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

16.0 ऑर्डर की जाने वाली मात्रा:

a) KRCL बिना कोई कारण बताए निविदा को पूर्ण या आंशिक मात्रा के लिए रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। पूरी मात्रा के लिए निविदाकारों द्वारा उद्धृत दरों को आंशिक मात्रा के लिए भी वैध माना जाएगा।

b) क्रेता द्वारा जहां आवश्यक हो, ऑर्डर की जाने वाली मात्रा को क्रेता द्वारा दो या दो से अधिक स्रोतों के बीच विभाजित किया जा सकता है ताकि वस्तु की vital/critical , Herbs खरीदी जाने वाली मात्रा, वितरण आवश्यकताओं, फर्मों की क्षमता और निष्पक्ष पारदर्शी और न्यायसंगत तरीके से फर्मों के पिछले प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए सामग्री की बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।

c) भंडार नियंत्रक या KRCL की ओर से अधिकृत कोई भी अधिकारी न्यूनतम या किसी प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और न ही ऐसा करने का कोई कारण बताने के लिए बाध्य है और निविदा में निर्दिष्ट मद के पूरे या किसी हिस्से के संबंध में किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और ठेकेदार को उद्धृत दर पर आपूर्ति करना आवश्यक होगा।

17.0 निविदा मात्रा के विभाजन के लिए मानदंड (पूर्व-निर्धारित विभाजन आदेश के मामले में)

17.1. क्रेता के पास एक या अधिक पात्र निविदाकारों पर क्रय योग्य मात्रा को वितरित करने का अधिकार सुरक्षित है, ऐसे पात्र निविदाकारों के विचार का क्षेत्र क्रेता का अधिकार होगा।

17.2. जब भी निविदा/प्राप्य मात्रा का ऐसा वितरण/विभाजन किया जाता है, मात्रा का वितरण निविदाकारों द्वारा उद्धृत दरों के अंतर (अन्य पहलुओं जैसे पर्याप्त क्षमता-सह-क्षमता, निविदाकारों के पिछले

संतोषजनक प्रदर्शन, रेलवे द्वारा खरीद के लिए बकाया ऑर्डर लोड, निविदा पूछताछ में शामिल डिलीवरी शेड्यूल की तुलना में उद्धृत डिलीवरी शेड्यूल आदि, समान / समान होना) पर निर्भर करेगा (उल्टा तरीके से) नीचे दी गई तालिका में विस्तृत तरीके से:

L1 और L2 के बीच कीमत अंतर	L1 और L2 के बीच मात्रा वितरण अनुपात
3 % तक	60:40
3% से अधिक और 5% तक	65:35
5% से अधिक	L1 टेंडरर पर कम से कम 65%। L 2 निविदाकार को ऑर्डर की जाने वाली मात्रा के लिए नीचे दिए गए पैरा 18.5 और 18.6 के अनुसार तय किया जाएगा।

17.3. यदि L-2 निविदाकर्ता से अधिक निविदाकारों को आदेश देकर मात्रा का विभाजन करना आवश्यक है, तो निविदाकर्ताओं के बीच मात्रा वितरण अनुपात का निर्धारण ऊपर पैरा 18.2 में दर्शाए गए अनुसार पारदर्शी/तार्किक/न्यायसम्य आधारित बाह्य गणन द्वारा किया जाएगा।

17.4. क्रेता के पास उच्च निविदाकारों को थोक आदेश देने के लिए न्यूनतम स्वीकार्य दर का प्रतिवाद करने का अधिकार सुरक्षित है। इस तरह के काउंटर ऑफ़र को अस्वीकार करने की स्थिति में, क्रेता मात्रा वितरण अनुपात/अनुपात पर निर्णय लेने का अपना अधिकार सुरक्षित रखेगा।

17.5. विचार के क्षेत्र के भीतर उच्चतम पात्र निविदाकर्ता की दर क्रेता के लिए उचित, उचित होनी चाहिए।

17.6. अपर्याप्त क्षमता-सह-क्षमता, असंतोषजनक पिछले प्रदर्शन, बड़ी मात्रा में बकाया आदेश (जिनके परिसमापन में बहुत लंबा समय लगेगा) आदि के मामलों में है। क्रेता को इन बाधाओं को ध्यान में रखते हुए खरीद योग्य मात्रा को निविदाकारों के बीच वितरित करने का अधिकार होगा और इस तरह से KRCL के संचालन, रखरखाव, सुरक्षा आदि की जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक मात्रा में सामग्री की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित होगी। निविदाओं की परस्पर रैंकिंग की परवाह किए बिना और प्राकृतिक न्याय और समानता के सिद्धांत के अनुरूप निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से।

17.7. L1 को काउंटर ऑफर स्वीकार्य मूल्य पर पहुंचने के लिए समझौता वार्ता के बराबर होगा। हालांकि, मात्रा के बंटवारे के मामले में एल2, एल3 आदि (एल1 द्वारा स्वीकार की गई दरों पर) के बाद कोई भी काउंटर ऑफर, जैसा कि निविदा में पूर्व-खुलासा किया गया है, बातचीत नहीं माना जाएगा। तथापि,

ऐसे मामलों में जहां विचार के क्षेत्र के भीतर उच्चतम निविदाकर्ता की दर, वास्तव में, उचित है और केवल खरीद को कम करने के लिए एक काउंटर ऑफर किया जाता है, तो वही सभी निविदाकारों को एक साथ विचार क्षेत्र के भीतर किया जाएगा।

17.8. उन मामलों के लिए जहां रेलवे/PU ने निविदाकारों के साथ TOT/JV समझौता आदि में प्रवेश किया था और ऐसे TOT/JV समझौते के हित में क्रेता के लिए क्रेता के ऐसे TOT/JV भागीदारों पर आदेश देना आवश्यक हो सकता है, निम्नलिखित लागू होगा :

"जैसा कि रेलवे ने ___ फर्मों के साथ TOT/JV समझौता किया है, वे ऐसे सभी TOT/JV अनुबंध भागीदारों पर ऑर्डर देने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। हालांकि, ऐसे TOT/JV संविदा / करार भागीदारों के बीच मात्रा वितरण के अनुपात/अनुपात के लिए, शर्तों के अनुरूप होने के अपवाद के साथ पैरा 18.2, 18.3 और 18.4 में वर्णित शर्तें। "विचार के क्षेत्र के भीतर उच्चतम पात्र निविदाकर्ता की दर, वास्तव में क्रेता के लिए उचित होनी चाहिए" लागू होगी।

18.0 क्वांटिटी ऑप्शन क्लॉज़:

a) 1.5 करोड़ रुपये और उससे अधिक मूल्य की निविदाओं के लिए, क्रेता को संविदा / करार की अवधि के दौरान समान मूल्य और नियमों और शर्तों पर ऑर्डर की गई मात्रा को 30% से अधिक नहीं बढ़ाने का अधिकार होगा, जिसमें बढ़ी हुई मात्रा के लिए उचित डिलीवरी शेड्यूल होगा। क्रेता इस तरह की वृद्धि को क्रियान्वित करने के लिए उचित समय / नोटिस देकर संविदा / करार की अवधि के दौरान विकल्प क्लॉज़ का प्रयोग करके आदेश मात्रा में बदलाव कर सकता है। क्रय आदेश में उल्लिखित अनुसूचित डीपी की अंतिम तिथि तक विकल्प खंड का प्रयोग किया जा सकता है, भले ही मूल आदेशित मात्रा की आपूर्ति निर्धारित वितरण की अंतिम तिथि से पहले पूरी हो गई हो। रेलवे बोर्ड का पत्र सं.(2021/आरएस(जी)/779/5 दिनांक 04.03.2022) लागू होगा (लिंक खंड -3 पर उपलब्ध है - अनुलग्नक - 3.7 - क्रमांक 17 पृष्ठ 69 पर)

19.0 वारंटी / गारंटी:

a) जब तक निविदा अनुसूची में अन्यथा न कहा गया हो, वारंटी/गारंटी संविदा / करार की IRS-KR शर्तों में निर्दिष्ट होगी अर्थात आपूर्ति की तारीख से 30 महीने या चालू होने की तारीख से 24 महीने जो भी पहले हो। निविदा अनुसूची के विभिन वारंटी/गारंटी उद्धृत करने वाली फर्म के प्रस्ताव को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा। आपूर्तिकर्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि वारंटी की सही गणना को सक्षम करने के लिए सामग्री पर निर्माता के नाम और निर्माण के महीने और वर्ष के साथ हमेशा मुहर लगी हो, जैसा कि सामग्री के ड्राइंग/विनिर्देशन में सविस्तार उल्लेखीत है।

M&P के मामले में वारंटी M&P के चालू होने और काम मे लाये जाने होने की तारीख से 24 महीने की होनी चाहिए। M&P खरीद के लिए अन्य विशेष शर्तें निविदा के प्रत्येक M&P मामले में शामिल की जाएंगी।

b) वारंटी दायित्व के लिए बैंक गारंटी:

मशीनरी और संयंत्र, महंगे उपकरण, पूंजीगत पुर्जों जैसी वस्तुओं के लिए, निविदाकर्ता को अपने वारंटी दायित्व को कवर करने के लिए सामग्री मूल्य के 10% की वारंटी बैंक गारंटी प्रस्तुत करनी होगी। वारंटी/गारंटी बांड का प्रारूप संलग्न है। आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली बैंक गारंटी (बीजी) पंजीकृत डाक एडी के तहत जारीकर्ता बैंक द्वारा सीधे संबंधित अधिकारियों को भेजी जानी चाहिए।

20.0 रिस्क पर्चेस क्लॉज़:

KRCL आपूर्ति अनुबंधों में "रिस्क पर्चेस क्लॉज़" को हटाने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जहां 10% SD लिया गया है। जब भी इस तरह के अनुबंधों में चूक होती है, सुरक्षा जमा को जब्त कर लिया जाएगा। हालांकि, उपरोक्त शर्तों के दायरे में नहीं आने वाले मामले, रिस्क पर्चेस प्रावधान मौजूदा प्रावधानों के अनुसार जारी रहेंगे।

21.0 आयातित आइटम:

किसी भी अधिकृत डीलर/एजेंट/मान्यता प्राप्त औद्योगिक वितरक को अपने विदेशी मूल फर्म की ओर से भारतीय रुपये में कोट करने के लिए निम्नलिखित का पालन करना होगा:-

1. विदेशी निर्माता से निविदा विशिष्ट प्राधिकरण के साथ बोली लगाने के लिए।

2. a) विदेशी प्रिंसिपल की ओर से कोट करते समय निविदाकारों को अपने कोटेशन के साथ प्रिंसिपल का इनवॉइस प्रस्तुत करना आवश्यक है।

b) हालांकि, प्रोफार्मा चालान असाधारण मामलों में स्वीकार किए जा सकते हैं जहां अनुबंध किए जाने से पहले चालान प्राप्त करना संभव नहीं है।

3.निविदाकर्ता को निम्नलिखित का अनुपालन करने के लिए निविदा में वचन देना होगा:-

(a) माल के लिए सीमा शुल्क से पास किया गया बिल ऑफ एंट्री की प्रति, प्रत्येक कंसाइनमेंट निर्माता के परीक्षण और निर्माता द्वारा जारी गारंटी प्रमाण पत्र के लिए प्रासंगिक, माल के लिए सुसंगत बिल ऑफ लैडिंग / AWB की प्रति, प्रत्येक प्रेषित माल के लिए सुसंगत विदेशी निर्माता/प्रिंसिपल के वाणिज्यिक चालान की प्रति प्रस्तुत करने के लिए सहमति।

(b) विदेशी निर्माता/प्राचार्य का वर्तमान और वैध प्राधिकरण/डीलरशिप प्रमाण पत्र।

(c) निर्माता की टैम्पर प्रूफ सील के साथ समुद्र/वायु योग्य पैकिंग का अनुपालन और संविदा / करार पैरा - 1800 की IRS-KR शर्तों में निर्धारित पैकिंग शर्तों का अनुपालन।
उपरोक्त उल्लिखित शर्तों में से किसी का पालन करने में विफलता के कारण प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

4. निविदाकर्ता को प्रस्ताव जमा करते समय निम्नलिखित का उल्लेख करना होगा:-

(a) विदेशी निर्माता/ मूल फर्म और उनके एजेंटों/सहयोगियों के बीच सटीक संबंध।

(a) निर्माता/ मूल फर्म और भारतीय एजेंट/सहयोगियों का एक-दूसरे के व्यवसाय में पारस्परिक हित का उल्लेख किया जाना है।

(a) भारतीय एजेंट का स्थायी खाता संख्या इंगित किया जाना है।

5. संविदा / करार के लंबित रहने के दौरान सीमा शुल्क और विनिमय दर भिन्नता के कारण होने वाला कोई भी अतिरिक्त व्यय ठेकेदार के खाते पर होगा।

6. विदेशों में निर्मित बियरिंग्स के लिए, रसीद के बाद भारत के अंदर राइट्स द्वारा Visual निरीक्षण आयात दस्तावेजों और मूल निर्माता के परीक्षण और वारंटी/गारंटी प्रमाण पत्र के साथ स्वीकार्य है। यदि ऐसा करने के लिए कहा जाता है तो फर्म को संविदा / करार के उचित निष्पादन के लिए IRS-KR शर्तों के अनुसार सुरक्षा राशि जमा करने के लिए सहमति देनी चाहिए। यह इस तथ्य के बावजूद है कि फर्म इस रेलवे के साथ पंजीकृत है या नहीं।

22.0 सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के लिए सार्वजनिक खरीद नीति: (अनुबंध के तहत उपलब्ध - खंड 3 - अनुलग्नक - 3.6 संलग्न)

i. निम्नलिखित एजेंसियों के साथ पंजीकृत MSE को निविदा की गई वस्तु के लिए नि:शुल्क निविदा सेट प्रदान किए जाएंगे:

a) जिला उद्योग केंद्र।
b) खादी और ग्रामोद्योग आयोग
c) खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड
d) कॉयर बोर्ड
e) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम
f) हस्तशिल्प और हथकरघा निदेशालय
g) MSME मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य निकाय।

ii. निविदा की गई मद के लिए उपरोक्त एजेंसियों के साथ पंजीकृत एमएसई को बयाना राशि के भुगतान से छूट दी जाएगी।

iii. निविदाओं में, भाग लेने वाले MSE को L1 + 15% के मूल्य बैंड को उद्धृत करने के लिए अपनी कीमत को L1 मूल्य तक कम करके आवश्यकता के हिस्से की आपूर्ति करने की अनुमति दी जाएगी, जहां L1 की कीमत MSE के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से है और ऐसे एमएसई को कुल निविदा मूल्य के 25% तक एक साथ ऑर्डर किया जा सकता है।

सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) संशोधन आदेश 2018 के लिए सार्वजनिक खरीद नीति -
संयुक्त निदेशक रेलवे स्टोर (जी) रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या 2010/आरएस(जी)/363/1 पं.I दिनांक 28.12.2018 के अनुसार डी.ओ. पत्र संख्या 21(8)/2018-एमए दिनांक 13.11.2018 के साथ एमएसएमई मंत्रालय और भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या पीपी-7(4)/2007-वित्त दिनांक 14.11.2018 के साथ राजपत्र अधिसूचना दिनांक 09.11.2018।

उपरोक्त पत्र - धारा 3 - अनुलग्नक - 3.7 के तहत क्रमांक 15 . पर उपलब्ध हैं
PPP में संशोधन इस प्रकार हैं:

a) सरकारी विभागों/सीपीएसई द्वारा एमएसई से माल और सेवाओं की खरीद के प्रतिशत को वर्तमान में उनकी कुल खरीद के कम से कम 20% से कम से कम 25% तक बढ़ाना; तथा

b) उपर्युक्त 25% आरक्षण के भीतर महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसई के लिए न्यूनतम 3% आरक्षण प्रदान करें।

iv. सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) संशोधन आदेश 2018 के लिए सार्वजनिक खरीद नीति के संबंध में स्पष्टीकरण -
राजपत्र अधिसूचना दिनांक 09.11.2018 के संबंध में संयुक्त निदेशक रेलवे स्टोर (जी) रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या 2010/आरएस(जी)/363/1 पीटी.I दिनांक 13.02.2019 के अनुसार सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए सार्वजनिक खरीद नीति के संबंध में निम्नलिखित स्पष्टीकरण जारी किए जाते हैं:
स्पष्टीकरण इस प्रकार हैं:

a) एमएसएमईडी अधिनियम 2006 के तहत एमएसई विक्रेताओं पर ऑर्डर करने के लिए आरक्षित मात्रा को मौजूदा 20% के मुकाबले बढ़ाकर 25% कर दिया गया है; तथा

b) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाले एमएसई से खरीद के लिए उप-लक्ष्य 4% पर रहेगा और महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसई के लिए उप-लक्ष्य कुल 25% में से 3% होगा।

उपरोक्त पत्र क्रमांक 16 पर - खंड 3 - अनुलग्नक - 3.7 के तहत उपलब्ध हैं

v. एमएसई जो इन लाभों का लाभ उठाने में रुचि रखते हैं, वे अपने प्रस्ताव के साथ एमएसएमई मंत्रालय की अधिसूचना में उल्लिखित किसी भी एजेंसी के साथ एमएसई पंजीकृत होने का प्रमाण अपलोड/संलग्न करेंगे:
   a) जिला उद्योग केंद्र।
   b) खादी और ग्रामोद्योग आयोग
   c) खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड
   d) कॉयर बोर्ड
   e) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम
   f) हस्तशिल्प और हथकरघा निदेशालय
   g) MSME मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य निकाय।

vi. MSEs को अपने पंजीकरण की अंतिम वैधता तिथि का भी उल्लेख करना चाहिए।

उपरोक्त (iv) और (v) में विफल होने पर, ऐसे प्रस्ताव भारत सरकार की दिनांक 23.03.2012 की एमएसई अधिसूचना में वर्णित लाभों पर विचार के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। कोई बैक रेफरेंस नहीं बनाया जाएगा।

vii. उद्योग आधार ज्ञापन (UAM) का पंजीकरण

रेलवे बोर्ड पत्र संख्या एफ.5/4/2018-पीपीडी दिनांक 28.02.2018 और
रेलवे बोर्ड पत्र संख्या 2016/पीएल/56/1 दिनांक 19.03.2018

विषय: केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल (CPPP) पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) विक्रेताओं द्वारा उद्योग आधार ज्ञापन (UAM) का पंजीकरण।

उपरोक्त पत्र - धारा 3 - अनुलग्नक - 3.7 के तहत क्रमांक 14 पर उपलब्ध हैं

23.0 सभी फर्मों को खरीद के तहत सामग्री की अधिकतम मात्रा से संबंधित आईसी या आर / नोट / प्रमाण पत्र की प्रतियां अपलोड करने के लिए, किसी भी क्षेत्रीय रेलवे / पीयू द्वारा पिछले तीन वर्षों में उन पर रखे गए किसी एक आदेश में सफलतापूर्वक आपूर्ति की गई। ऐसे निविदाकारों को यह नोट करना चाहिए कि ऐसे दस्तावेजों को जमा न करने पर विचार किया जाएगा क्योंकि उनका ऐसा कोई पिछला प्रदर्शन नहीं है और उनके प्रस्तावों पर मौजूदा नियमों के अनुसार आगे विचार किया जाएगा और इस

संबंध में उन्हें बैक रेफरेंस किया जाएगा। तथापि, रेलवे पिछले तीन वर्षों में कोंकण रेलवे के साथ फर्म के पिछले प्रदर्शन को संदर्भित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

रेलवे बोर्ड पत्र संख्या: RS(M)/2011/EPS/01 Pt. दिनांक 23.01.2018
विषय: इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स नीलामी के लिए दिशानिर्देश

1.0 रेलवे बोर्ड ने पत्र संख्या: RS(M)2011/EPS/01 दिनांक 03.01.2013 के माध्यम से सभी क्षेत्रीय रेलवे और उत्पादन इकाइयों को रिवर्स नीलामी पद्धति के माध्यम से उपयुक्त वस्तुओं की खरीद करने की सलाह दी थी। रिवर्स नीलामी के लिए अपनाई जाने वाली आवश्यक प्रक्रिया, आईटी निदेशालय के परामर्श से तैयार की गई और वित्त द्वारा सहमति व्यक्त की गई। निदेशालय को भी उस पत्र के अनुलग्नक के रूप में प्रदान किया गया था।

2.0 माननीय रेल मंत्री की इच्छा है कि भारतीय रेलवे सभी सामानों की खरीद के लिए ई-रिवर्स ऑक्शन (e-RA) को एक विधि के रूप में अपनाए। इस संबंध में, विद्युत क्षेत्र के लिए कोयला खदानों के आवंटन में अपनाई गई रिवर्स नीलामी प्रणाली का अध्ययन किया गया है और रेलवे की आवश्यकताओं के अनुरूप आवश्यक मामूली परिवर्तनों के साथ अपनाने का प्रस्ताव दिया गया है।

3.0 तदनुसार, पात्र मामलों के लिए भारतीय रेलवे पर ई-आरए के माध्यम से खरीद के लिए प्रक्रिया अपनाई जाएगी:
यह लिंक में उपलब्ध है -
http://www.indianrailways.gov.in/railwayboard/uploads/directorate/stores/downloads/circular/2018/Electronic%20Reverse%20Auction.pdf

रेलवे बोर्ड पत्र संख्या 2017/Trans/01/Policy/Pt-S दिनांक 28.03.2018
विषय: वर्क्स, स्टोर्स और सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स ऑक्शन के लिए दिशानिर्देश।
रेलवे बोर्ड ने दुकानों की खरीद के लिए रिवर्स नीलामी के लिए अपनाए जाने वाले विस्तृत दिशा-निर्देश/प्रक्रिया जारी की थी। बोर्ड (ME, FC, CRB) के अनुमोदन से कार्यों, सेवाओं और कमाई निविदाओं के लिए भी नीलामी / रिवर्स नीलामी के समान अभ्यास का पालन करने का निर्णय लिया

गया है। RA के माध्यम से स्टोर की खरीद के लिए पहले के सभी दिशा-निर्देशों को दबाते हुए, कार्यान्वयन के लिए तदनुसार संशोधित दिशानिर्देश जारी किए जाते हैं।

A) कार्यों, सेवाओं और स्टोर अनुबंधों के लिए निविदाएं।

B) कमाई अनुबंध के लिए निविदाएं।

C) PSU और रेलवे के अन्य निकायों/संगठनों के लिए।

D) अन्य निर्देश।

यह लिंक में उपलब्ध है -

http://www.indianrailways.gov.in/railwayboard/uploads/directorate/Transformation_Cell/Circulars/RB_RA_Letter_dt_28_3_18_with_annex.pdf

रेलवे बोर्ड के संशोधित आदेश इस प्रकार हैं-

रेलवे बोर्ड पत्र संख्या 2019/RS(G)/779/2 दिनांक 08.08.2019

विषय: वर्क्स, स्टोर्स और सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स ऑक्शन के लिए दिशानिर्देश।

यह लिंक में उपलब्ध है -

https://indianrailways.gov.in/railwayboard/uploads/directorate/stores/downloads/circular/RS%20G/RS_G_Guidelines_08082019.pdf

रेलवे बोर्ड पत्र संख्या RS(M)/2011/EPS/01/Pt. दिनांक 18.10.2019

विषय: इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स नीलामी के लिए दिशानिर्देश

यह लिंक में उपलब्ध है -

https://indianrailways.gov.in/railwayboard/uploads/directorate/stores/downloads/circular/2019/RS(M)_Guidelines_ReverseAuction_18102019.pdf

कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड

सामग्री प्रबंधन विभाग

अनुलग्नक 3.1

प्रदर्शन विवरण के लिए प्रोफार्मा
(पिछले 3 वर्षों की अवधि के लिए)

निविदा संख्या _____ हारने की तिथि_____समय_____घंटे फर्म का नाम_____

क्र सं	आदेश संख्या और खरीदार का पता	विवरण और मात्रा	आदेश का मूल्य (in ₹)	सुपुर्दगी पूर्ण होने की तिथि		देर से डिलीवरी के कारणों को इंगित करने वाली टिप्पणियां, यदि कोई हों	क्या उपकरण/भंडार को संतोषजनक ढंग से चालू किया गया है और क्या यह परेशानी मुक्त सेवा दे रहा है।
				अनुबंध के अनुसार	वास्तविक		

दिनांक: बोलीदाता के हस्ताक्षर और मुहर

कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड

सामग्री प्रबंधन विभाग

अनुलग्नक 3.2

उपकरण और गुणवत्ता नियंत्रण के लिए प्रोफार्मा

निविदा संख्या _____ बंद करने की तिथि _____ समय _____ घंटे

1. फर्म का नाम और पूरा पता:
2. टेलीफोन / फैक्स नंबर कार्यालय / कारखाना / कार्य:
3. कारखाने/कार्यों का स्थान:
4. कारखाने/कार्यों का स्थान:
5. सांविधिक विनियमों के अनुसार जहां कहीं आवश्यक हो, औद्योगिक लाइसेंस का विवरण:
6. प्रत्येक विभाग में स्थापित और कार्यरत संयंत्र और मशीनरी का विवरण (मोनोग्राफ और विवरण पैम्फलेट, यदि उपलब्ध हो, आपूर्ति की जाए)
7. कारखाने में निर्माण की प्रक्रिया का संक्षेप में विवरण
8. धारित कच्चे माल के स्टॉक का विवरण
9. मौजूदा संयंत्र और मशीनरी के साथ उद्धृत मदों की उत्पादन क्षमता
   9.1.सामान्य
   9.2.अधिक से अधिक
10. प्रयोगशाला परीक्षण उपकरण आदि जैसे उत्पादों के गुणवत्ता नियंत्रण की व्यवस्था का विवरण यहां दिया गया है।
11. कर्मचारियों का विवरण
    11.1. उत्पादन और गुणवत्ता नियंत्रण के प्रभारी तकनीकी पर्यवेक्षी स्टाफ का विवरण
    11.2. कुशल श्रमिक कार्यरत
12. आवेदन की तिथि से पहले के 18 महीनों के दौरान किसी भी दिन कार्यरत श्रमिकों (कुशल और अकुशल) की अधिकतम संख्या

13. क्या आप आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय, नई दिल्ली, भारत या किसी क्षेत्रीय रेलवे/उत्पादन इकाई में पंजीकृत हैं? यदि हां, तो पंजीकरण, मुद्रा की अवधि आदि का विवरण दें।
14. क्या आप एनएसआईसी, भारत के साथ पंजीकृत एक लघु इकाई हैं? यदि हां, तो पंजीकरण, मुद्रा की अवधि आदि का विवरण दें।
15. क्या आपकी इकाई आईएसओ प्रमाणित इकाई है? यदि हां, तो पंजीकरण, मुद्रा की अवधि आदि का विवरण दें।

दिनांक: बोलीदाता के हस्ताक्षर और मुहर

अनुलग्नक 3.3

इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (क्रेडिट समाशोधन)

मॉडल मैंडेट फॉर्म

(क्रेडिट समाशोधन तंत्र के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने के लिए निवेशक / ग्राहक का विकल्प)

योजना का नाम और भुगतान की अवधि।

1. निवेशक / ग्राहक का नाम :
2. बैंक खाते का विवरण
   A) बैंक का नाम :
   B) शाखा का नाम :
      पता :
      टेलीफोन नंबर :
   C) बैंक और शाखा का 9-अंकीय कोड नंबर :
   D) कोड के साथ खाते का प्रकार (एसबी, चालू, या नकद क्रेडिट) (10/11/13)
   E) लेजर और लेजर फोलियो नंबर:
   F) खाता संख्या (जैसा कि चेक बुक पर दिखाई दे रहा है)

(नीचे दिए गए बैंक प्रमाण पत्र के बदले, कृपया एक खाली रद्द चेक या चेक की फोटोकॉपी या उपरोक्त बैंक विवरणों के सत्यापन के लिए आपके बैंक द्वारा जारी आपकी बचत बैंक पासबुक के पहले पृष्ठ पर संलग्न करें)

3. प्रभाव की तिथि:

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि ऊपर दिए गए विवरण सही और पूर्ण हैं। यदि अपूर्ण या गलत जानकारी के कारण लेन-देन में देरी होती है या बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता है, तो मैं उपयोगकर्ता संस्थान को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा। मैंने विकल्प आमंत्रण पत्र पढ़ लिया है और इस योजना के तहत एक भागीदार के रूप में मुझसे अपेक्षित जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए सहमत हूं।

कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड

सामग्री प्रबंधन विभाग

(----------)
निवेशक/ग्राहक के हस्ताक्षर

दिनांक:
प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दिए गए विवरण हमारे रिकॉर्ड के अनुसार सही हैं।
बैंक का स्टाम्प

अनुलग्नक 3.4

बोलीदाताओं के लिए चेक शीट

बोलीदाताओं से अनुरोध है कि निम्नलिखित के विशेष संदर्भ में इसे जमा करने से पहले अपनी बोली की जांच कर लें:

- क्या आपने निविदाकारों को निर्देश, सामान्य निविदा शर्तों और निविदा की विशेष शर्तों से युक्त निविदा दस्तावेजों के माध्यम से पढ़ा है, और क्या आप सहमत हैं और निविदाकारों के निर्देशों, सामान्य निविदा शर्तों, आईआरएस-केआर अनुबंध की शर्तों और निविदा की विशेष शर्तें का पालन करने के लिए सहमत हैं और पुष्टि करते हैं?

- क्या आपने इस निविदा के खिलाफ जमा की गई निविदा लागत का साक्ष्य जमा/अपलोड किया है?

- क्या आपने क्रय आदेश, रसीद नोट और निरीक्षण प्रमाण पत्र, जैसा भी मामला हो, द्वारा प्रतियों द्वारा समर्थित प्रदर्शन विवरण प्रस्तुत/अपलोड किया है?

- क्या आपने बयाना राशि जमा की है [निविदाकारों को निर्देश का पैरा 8.0]?

- क्या आपने वैध एनएसआईसी प्रमाणपत्र जमा/अपलोड किया है, विशेष रूप से निविदा मद के लिए निविदा लागत जमा करने से छूट का दावा करने की दृष्टि से?

- क्या आपने अपना प्रस्ताव 90 दिनों के लिए वैध रखा है?

- जहां पीवीसी लागू है, क्या आपने निविदा की शर्तों और निविदा की विशेष शर्तों में दर्शाए गए आधार मूल्यों के साथ पीवीसी को निविदा शर्त के अनुसार उद्धृत किया है?

- क्या आप विनिर्देश के अनुसार गारंटी/वारंटी से सहमत हैं और यदि विनिर्देश में जीसी/डब्ल्यूसी शामिल नहीं है, तो क्या आप अनुबंध की आईआरएस-केआर शर्तों के अनुसार जीसी/डब्ल्यूसी से सहमत हैं?

- दर का हवाला देते हुए क्या आपने जीएसटी पर शुल्क सेट-ऑफ का पूरा प्रभाव लागू किया है और केआरसीएल को सभी अतिरिक्त लाभ देने के लिए सहमत हुए हैं?

- अधिकृत डीलरों के मामले में, क्या आपने "प्राधिकरण प्रमाणपत्र" अपलोड किया है?

- क्या आपने सत्यनिष्ठा संधि के अनुलग्नक-II में दिए गए मूल्य के अनुसार स्टोर निविदाओं के लिए सत्यनिष्ठा संधि पर हस्ताक्षर किए हैं?

कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड

सामग्री प्रबंधन विभाग

अनुलग्नक-II

सत्यनिष्ठा समझौता कार्यक्रम

सत्यनिष्ठा संधि कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाली निविदाओं के संबंध में, निम्नलिखित खंड एनआईटी और निविदाओं में शामिल हैं।

"यह निविदा केआरसीएल के सत्यनिष्ठा संधि कार्यक्रम के तहत कवर की गई है और संभावित बोलीदाताओं को सत्यनिष्ठा संधि दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने और बोली से पहले या उसके साथ केआरसीएल को जमा करने की आवश्यकता है"। अधिक जानकारी के लिए, निविदा दस्तावेज में उल्लिखित खंड "अखंडता समझौता कार्यक्रम" देखा जा सकता है।

वर्तमान सीमा मूल्य इस प्रकार है:

a) परियोजना प्रभाग के लिए : 15 करोड़ रुपये से अधिक का कार्य अनुबंध

b) ओपन लाइन के लिए : 30 लाख रुपये से अधिक के स्टोर अनुबंध और 1 करोड़ रुपये से अधिक के अन्य सभी कार्य अनुबंध

I. थ्रेशोल्ड मूल्य से कम अनुमानित मूल्य वाली निविदाओं के मामले में भी, विक्रेताओं को आईपी दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होगी यदि खरीद आदेश (पीओ) का कुल मूल्य निम्न के संबंध में थ्रेशोल्ड मूल्य से अधिक है:
   - एक निविदा के खिलाफ एकल विक्रेता पर एकाधिक / दोहराए गए खरीद आदेश
   - एक निविदा के खिलाफ कई विक्रेताओं को क्रय आदेश दिया गया

II. केवल वे विक्रेता जिन्होंने आईपी दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर किए हैं, वे अपनी शिकायत, यदि कोई हो, नोडल अधिकारी, यानी मुख्य सतर्कता अधिकारी (CVO), केआरसीएल के माध्यम से स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर (IEM) को निर्धारित प्रोफार्मा में भेज सकते हैं।

III. यदि ऑर्डर, थ्रेशोल्ड वैल्यू के बराबर या उससे अधिक के कुल मूल्य के साथ, एक से अधिक वेंडर के बीच विभाजित किया जाता है और भले ही किसी/प्रत्येक वेंडर पर रखे गए पीओ का मूल्य थ्रेशोल्ड वैल्यू से कम हो, आईपी दस्तावेज पर विक्रेताओं द्वारा बोली चरण में ही हस्ताक्षर किए जाने के बाद, समझौता लागू रहेगा।

IV. बोली-पूर्व टाई अप/रुचि की अभिव्यक्ति (EOI) के लिए निविदाओं के संबंध में: केआरसीएल को ग्राहक से आदेश प्राप्त करने के मामले में, तकनीकी रूप से खरीद आदेश/कार्य आदेश देने से पहले और व्यावसायिक रूप से योग्य विक्रेता, चयनित विक्रेता को आईपी दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होती है।

KRCL कर्मचारियों को निर्देश

- यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रोफार्मा (आईपी में संलग्न) सहित संपूर्ण आईपी दस्तावेज को निविदा दस्तावेज के एक भाग के रूप में बनाया जा सकता है, चाहे उसका मूल्य और प्रकार कुछ भी हो। साथ ही, निविदा दस्तावेज में सत्यनिष्ठा समझौता कार्यक्रम अनुभाग में उल्लिखित शर्तों के लिए स्वीकृति/अनुपालन बोली चरण के दौरान ही सभी भाग लेने वाले विक्रेताओं से प्राप्त किया जाना है।

- सत्यनिष्ठा संधि कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाली निविदाओं के लिए, बोली जमा करने से पहले या समय पर सभी बोलीदाताओं द्वारा आईपी दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।

- IP दस्तावेज़ सादे सफेद शीट में होगा और प्रत्येक पक्ष के दो गवाहों के साथ विक्रेता और केआरसीएल द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। आईपी दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों का नाम, पदनाम, कंपनी आदि और परियोजना/निविदा नाम का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। आईपी दस्तावेज़ के सभी पृष्ठ कंपनी की मुहर के साथ दोनों पक्षों द्वारा शुरू किए जाएंगे।

अनुलग्नक -10

विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के भारतीय एजेंटों के लिए दिशानिर्देश

1.0 सभी ग्लोबल (ओपन) टेंडर और लिमिटेड टेंडर के लिए एजेंटों का अनिवार्य पंजीकरण होगा। एक एजेंट जो केआरसीएल के साथ पंजीकृत नहीं है, वह निर्धारित आवेदन-प्रपत्र में पंजीकरण के लिए आवेदन करेगा।

1.1. पंजीकृत एजेंट एजेंसी समझौते की पुष्टि करने वाले प्रिंसिपल के नोटरी पब्लिक / मूल प्रमाण पत्र द्वारा विधिवत प्रमाणित एक प्रमाणित फोटोस्टेट कॉपी दाखिल करेंगे और एजेंट द्वारा प्राप्त की जा रही स्थिति और केआरसीएल द्वारा आदेश देने से पहले प्रिंसिपल द्वारा एजेंट को भुगतान किए जा रहे कमीशन/पारिश्रमिक/वेतन/रिटेनर शिप की जानकारी देना।

1.2. जहां कहीं भी भारतीय प्रतिनिधियों ने अपने प्रधानों की ओर से संचार किया है और विदेशी पार्टियों ने कहा है कि वे भारतीय एजेंटों को कोई कमीशन नहीं दे रहे हैं, और भारतीय प्रतिनिधि वेतन के आधार पर या रिटेनर के रूप में काम कर रहा है, इस आशय का एक लिखित घोषणा आदेश को अंतिम रूप देने से पहले पार्टी (अर्थात प्रधानाचार्य) द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

2.0 भारत में एजेंटों/प्रतिनिधियों के विवरण का प्रकटीकरण। यदि कोई।

2.1. विदेशी राष्ट्रीयता के निविदाकार अपने में निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करेंगे:

2.1.1. भारत में एजेंटों / प्रतिनिधियों का नाम और पता, यदि कोई हो और प्राधिकारियों को प्रतिबद्ध करने के लिए दिए गए प्राधिकरण और अधिकार की सीमा। यदि एजेंट/प्रतिनिधि एक विदेशी कंपनी है, तो इसकी पुष्टि की जाएगी कि क्या यह वास्तविक पर्याप्त कंपनी है और उसका विवरण प्रस्तुत किया जाएगा।

2.1.2. भारत में ऐसे एजेंटों/प्रतिनिधियों के लिए उद्धृत मूल्य (मूल्यों) में शामिल कमीशन/पारिश्रमिक की राशि।

2.1.3. निविदाकर्ता की पुष्टि कि भारत में उसके एजेंटों/प्रतिनिधियों को देय कमीशन/पारिश्रमिक, यदि कोई हो, का भुगतान केआरसीएल द्वारा केवल भारतीय रुपये में किया जा सकता है।

2.2. भारतीय राष्ट्रीयता के निविदाकर्ता अपने प्रस्तावों में निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करेंगे:

2.2.1. विदेशी प्रधानाचार्यों का नाम और पता उनकी राष्ट्रीयता के साथ-साथ उनकी स्थिति को दर्शाता है कि क्या निर्माता के एजेंट या प्रिंसिपल के प्राधिकरण के पत्र धारण करने वाले एजेंट को विशेष रूप से या तो सीधे या एजेंट/प्रतिनिधि के माध्यम से निविदा के जवाब में भारत में एक प्रस्ताव बनाने के लिए अधिकृत करते हैं।

2.2.2. कमीशन/पारिश्रमिक की राशि निविदाकार द्वारा अपने लिए उद्धृत मूल्य (मूल्यों) में शामिल है।

2.2.3. निविदाकर्ता के विदेशी प्रधानाचार्यों की पुष्टि कि कमीशन/पारिश्रमिक, यदि कोई हो, निविदाकर्ता के लिए आरक्षित मूल्य (ओं) में, केआरसीएल द्वारा भारत में समकक्ष भारतीय रुपये में भुगतान किया जा सकता है, परियोजना के संतोषजनक समापन पर या संचालन वस्तुओं के मामले में स्टोर और पुर्जों की आपूर्ति पर।

2.3. किसी भी मामले में, अनुबंध के साकार होने की स्थिति में, भुगतान की शर्तें कमीशन/पारिश्रमिक के भुगतान के लिए प्रदान करेंगी, यदि कोई हो, जो अनुबंध के तहत दायित्वों के निर्वहन के 90 दिनों की समाप्ति के बाद भारतीय रुपये में भारत में एजेंटों/प्रतिनिधियों को देय है।

2.4. उपरोक्त पैराग्राफ-2.0 में मांगी गई सही और विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करने में विफलता संबंधित निविदा को अस्वीकार करने के लिए उत्तरदायी होगी या अनुबंध के पूरा होने की स्थिति में, केआरसीएल द्वारा इसे समाप्त किया जा सकता है। इसके अलावा, केआरसीएल के साथ व्यापारिक लेन-देन पर प्रतिबंध लगाने या किसी नामित राशि के नुकसान या भुगतान पर जुर्माना लगाया जाएगा।

कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड

सामग्री प्रबंधन विभाग

अनुलग्नक – "बी"

1.0 परिचय

1.1. कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड (KRCL), एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम और 'राज्य' होने के नाते, भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ में, संविधान के अध्याय III में निहित अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित करना है। केआरसीएल को भी अपने वाणिज्यिक हितों की रक्षा करनी है। केआरसीएल उन एजेंसियों से संबंधित है, जिनके पास किए गए कार्य के प्रति बहुत उच्च स्तर की सत्यनिष्ठा, प्रतिबद्धता और ईमानदारी है। केआरसीएल के हित में नहीं है कि वह उन एजेंसियों से निपटे जो उन्हें दिए गए अनुबंधों / उन्हें जारी किए गए आदेशों के निष्पादन में धोखा, धोखाधड़ी या अन्य कदाचार करती हैं। संवैधानिक जनादेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, किसी भी एजेंसी के साथ व्यापारिक व्यवहार पर प्रतिबंध लगाने से पहले प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना केआरसीएल पर निर्भर है।

1.2. चूंकि व्यावसायिक लेनदेन पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित एजेंसी के लिए नागरिक परिणाम शामिल होते हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस संबंध में कोई आदेश पारित करने से पहले सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाए और स्पष्टीकरण, यदि प्रस्तुत किया जाता है, पर विचार किया जाता है।

2.0 दायरा

2.1. KRCL की अनुबंध की सामान्य शर्तें (GCC) आम तौर पर यह प्रदान करती हैं कि KRCL अपने अनुमोदित आपूर्तिकर्ताओं / ठेकेदारों की सूची से हटाने या किसी भी एजेंसी द्वारा कदाचार किए जाने पर व्यावसायिक सौदों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार सुरक्षित रखता है और जांच के लिए लंबित

व्यावसायिक सौदों को निलंबित करने का भी अधिकार सुरक्षित रखता है। . यदि ऐसा प्रावधान किसी जीसीसी में मौजूद नहीं है, तो उसे शामिल किया जाएगा।

2.2. इसी तरह, सामग्री की बिक्री के मामले में उन एजेंसियों/ग्राहकों/खरीदारों से निपटने के लिए एक खंड है, जो अनधिकृत तरीके से सामग्री उठाने में लिप्त हैं। यदि ऐसी कोई शर्त किसी बिक्री आदेश में मौजूद नहीं है, तो उसे शामिल किया जाएगा।

2.3. हालांकि, इस तरह के एक खंड की अनुपस्थिति किसी भी तरह से उचित मामलों में कंपनी (KRCL) के इन दिशानिर्देशों के तहत कार्रवाई/निर्णय लेने के अधिकार को प्रतिबंधित नहीं करती है।

2.4. (i) अनुमोदित आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों की सूची से एजेंसी को हटाने की प्रक्रिया; (ii) निलंबन और (iii) एजेंसियों के साथ कारोबार करने पर प्रतिबंध लगाना इन दिशानिर्देशों में निर्धारित किया गया है।

2.5. ये दिशा-निर्देश केआरसीएल पर लागू होते हैं, जिसमें उसकी परियोजनाएं भी शामिल हैं।

2.6. यह स्पष्ट किया जाता है कि ये दिशानिर्देश किसी विशेष एजेंसी के खराब/अपर्याप्त प्रदर्शन या किसी अन्य कारण से किसी विशेष एजेंसी का मनोरंजन नहीं करने के प्रबंधन के निर्णय से संबंधित नहीं हैं।

2.7. प्रतिबंध संभावित प्रभाव से होगा, अर्थात भविष्य के व्यापारिक सौदे।

3.0 परिभाषाएं

इन दिशानिर्देशों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो

i. पार्टी/ठेकेदार/आपूर्तिकर्ता/क्रेता/ग्राहक/बोलीदाता निविदाकर्ता' का अर्थ है और इसमें एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी या एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एक फर्म चाहे वह पंजीकृत हो या नहीं, एक व्यक्ति, एक सहकारी समिति या किसी भी वाणिज्य, व्यापार, उद्योग आदि में लगे व्यक्तियों का एक संघ या समूह। इन दिशानिर्देशों के संदर्भ में 'पार्टी/ठेकेदार/आपूर्तिकर्ता/क्रेता/ग्राहक/ बोलीदाता/निविदाकर्ता' को 'एजेंसी' के रूप में दर्शाया गया है।

ii. 'इंटर-कनेक्टेड एजेंसी' का अर्थ दो या दो से अधिक कंपनियों से होगा जिनमें निम्नलिखित में से कोई भी विशेषता हो:

   a) यदि एक दूसरे की सहायक है।
   b) यदि निदेशक (ओं), भागीदार (ओं), प्रबंधक (ओं) या प्रतिनिधि (ओं) आम हैं;
   c) यदि प्रबंधन सामान्य है;
   d) यदि कोई दूसरे पर किसी प्रकार का स्वामित्व या नियंत्रण रखता हो;

iii. 'सक्षम प्राधिकारी' और 'अपील प्राधिकारी' का अर्थ निम्नलिखित होगा:

a) कंपनी (संपूर्ण KRCL) व्यापक प्रतिबंध के लिए, इन दिशानिर्देशों के उद्देश्य के लिए KRCL की निदेशक समिति (KDC) 'सक्षम प्राधिकारी' होगी। अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, KRCL विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के साथ व्यापारिक सौदों पर प्रतिबंध लगाने के अलावा ऐसे मामलों के संबंध में 'अपीलीय प्राधिकारी' होंगे।

b) विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के साथ व्यापार व्यवहार पर प्रतिबंध लगाने के लिए, केआरसीएल की निदेशक समिति (KDC) 'सक्षम प्राधिकारी' होगी। KDC द्वारा पारित आदेश के खिलाफ अपील, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के रूप में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पास होगी।

c) यदि विदेशी आपूर्तिकर्ता प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो वह द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी के रूप में KRCL बोर्ड से संपर्क कर सकता है।

d) अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, KRCL के पास उनके द्वारा उपलब्ध या प्राप्त किसी भी जानकारी पर स्वत: कार्रवाई करने और इन दिशानिर्देशों के तहत किसी भी प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश (आदेशों) को संशोधित करने सहित, जैसा वह उचित समझे, पारित करने की समग्र शक्ति होगी।

iv. 'जांच विभाग' का अर्थ एजेंसी के संचालन की जांच करने वाला कोई भी विभाग होगा और इसमें सतर्कता विभाग, केंद्रीय जांच ब्यूरो, राज्य पुलिस या केंद्र या राज्य सरकार द्वारा स्थापित कोई अन्य विभाग शामिल होगा जिसमें जांच करने की शक्ति हो।

v. 'अनुमोदित एजेंसियों की सूची - पार्टियों/ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं/खरीदारों/ग्राहकों/ बोलीदाताओं/ निविदाकारों का अर्थ होगा और अनुमोदित/पंजीकृत एजेंसियों की सूची- पार्टियों/ठेकेदारों/ आपूर्तिकर्ताओं/खरीदारों/ग्राहकों/ बोलीदाताओं/ निविदाकारों, आदि।

4.0 प्रतिबंध/निलंबन की शुरुआत

किसी भी एजेंसी के साथ व्यवसायिक लेन-देन पर प्रतिबंध लगाने/निलंबित करने की कार्रवाई उनके साथ व्यापार व्यवहार करने वाले विभाग द्वारा उनकी ओर से अनियमितताओं या कदाचार को ध्यान में रखते हुए शुरू की जानी चाहिए। संबंधित विभाग के अलावा, सतर्कता विभाग भी ऐसी कार्रवाई की सलाह देने के लिए सक्षम होगा।

5.0 व्यापार सौदों का निलंबन

5.1. यदि केआरसीएल से संबंधित किसी एजेंसी के आचरण की किसी विभाग (विदेशी आपूर्तिकर्ताओं को छोड़कर) द्वारा जांच की जा रही है, तो सक्षम प्राधिकारी इस बात पर विचार कर सकता है कि क्या जांच के तहत आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और क्या जांच लंबित है, यह सलाह दी जाएगी कि उनके साथ

व्यावसायिक व्यवहार जारी रखा जाए। अभिकरण। यदि सक्षम प्राधिकारी, जांच विभाग की सिफारिश सहित मामले पर विचार करने के बाद, यदि कोई हो, यह निर्णय लेता है कि केआरसीएल के हित में नहीं होगा कि वह जांच के लिए लंबित व्यापार व्यवहार जारी रखे, तो वह एजेंसी के साथ व्यापारिक व्यवहार को निलंबित कर सकता है। इस आशय का आदेश जांच के तहत आरोपों का एक संक्षिप्त संकेत दे सकता है। यदि यह निर्णय लिया जाता है कि आपस में जुड़ी हुई एजेंसियां भी निलंबन के आदेश के दायरे में आ जाएंगी, तो इसे विशेष रूप से आदेश में कहा जाना चाहिए। निलंबन का आदेश छह महीने से अधिक की अवधि के लिए लागू नहीं होगा और एजेंसी और जांच विभाग को भी सूचित किया जा सकता है। जांच विभाग यह सुनिश्चित करे कि उनकी जांच पूरी हो गई है और अंतिम आदेश की पूरी प्रक्रिया ऐसी अवधि के भीतर समाप्त हो गई है।

5.2. निलंबन के आदेश की सूचना केआरसीएल के सभी विभागीय प्रमुखों को दी जाएगी। निलंबन की अवधि के दौरान, एजेंसी के साथ कोई भी व्यापारिक व्यवहार नहीं किया जा सकता है।

5.3. जहां तक संभव हो, एजेंसी के साथ मौजूदा अनुबंध तब तक जारी रह सकता है जब तक कि सक्षम प्राधिकारी मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अन्यथा निर्णय न ले लें।

5.4. यदि जांच के तहत कदाचार की गंभीरता बहुत गंभीर है और यह पूरी तरह से केआरसीएल के हित में नहीं होगा, तो ऐसी एजेंसी से जांच के लिए लंबित जांच के लिए, सक्षम प्राधिकारी व्यावसायिक लेनदेन को निलंबित करने का आदेश पारित कर सकता है, जिसकी प्रति संबंधित एजेंसी को पृष्ठांकित की जा सकती है। ऐसा आदेश जारी होने की तारीख से छह महीने की अवधि के लिए प्रभावी होगा।

5.5. विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के साथ व्यापारिक व्यवहार के निलंबन के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया होगी: -

i. विदेशी आपूर्तिकर्ताओं का निलंबन पूरी कंपनी में लागू होगा।

ii. KDC द्वारा अग्रेषित या सीधे सतर्कता विभाग द्वारा प्राप्त शिकायत के आधार पर, यदि जांच के तहत कदाचार की गंभीरता गंभीर पाई जाती है और यह महसूस किया जाता है कि जांच लंबित रहने तक ऐसी एजेंसी से निपटना जारी रखना KRCL के हित में नहीं होगा, सतर्कता विभाग इस मामले पर अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक को KRCL निदेशकों की समिति (KDC) के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए इस तरह की सिफारिश भेज सकता है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

    1. निदेशक (वित्त)
    2. निदेशक (संचालन और वाणिज्यिक)

समिति रिपोर्ट की शीघ्रता से जांच करेगी, संदर्भ प्राप्त होने के इक्कीस दिनों के भीतर अपनी टिप्पणियां/सिफारिशें देगी।

iii. यदि KDC का मानना है कि यह निलंबन के लिए उपयुक्त मामला है, तो KDC आवश्यक आदेश पारित कर सकता है जो निदेशक (संचालन और वाणिज्यिक) द्वारा विदेशी आपूर्तिकर्ता को सूचित किया जाएगा।

5.6. यदि संबंधित एजेंसी निलंबन के विस्तृत कारण पूछती है, तो एजेंसी को सूचित किया जा सकता है कि उसके आचरण की जांच चल रही है। इस स्तर पर एजेंसी के साथ पत्राचार या तर्क-वितर्क करना आवश्यक नहीं है।

5.7. निलंबन का आदेश जारी करने से पहले एजेंसी को कोई कारण बताओ नोटिस या व्यक्तिगत सुनवाई देना आवश्यक नहीं है। हालांकि, यदि जांच छह महीने के समय में पूरी नहीं होती है, तो सक्षम प्राधिकारी निलंबन की अवधि को और तीन महीने तक बढ़ा सकता है, जिस अवधि के दौरान जांच पूरी होनी चाहिए।

6.0 वह आधार जिस पर व्यापारिक सौदों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है

6.1. यदि सुरक्षा पर विचार, राज्य के प्रति एजेंसी की वफादारी के सवालों सहित, तो वारंट;

6.2. यदि एजेंसी के निदेशक/मालिक, फर्म के मालिक या भागीदार, पिछले पांच वर्षों के दौरान सरकार या किसी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम या केआरसीएल के साथ अपने व्यापारिक व्यवहार के संबंध में नैतिक अधमता से जुड़े अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया जाता है।

6.3. यदि यह मानने का मजबूत औचित्य है कि एजेंसी के निदेशक, मालिक, भागीदार, मालिक रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, निविदाओं के प्रतिस्थापन, प्रक्षेप, आदि जैसे कदाचार के दोषी हैं;

6.4. यदि एजेंसी लगातार पर्याप्त कारण बताए बिना केआरसीएल की बकाया राशि वापस करने / वापस करने से इनकार करती है और यह किसी उचित विवाद के कारण नहीं है जो मध्यस्थता या न्यायालय में कार्यवाही को आकर्षित करेगा;

6.5. यदि एजेंसी भ्रष्टाचार या ऐसे अपराध के लिए उकसाने वाले किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति को बर्खास्त/निष्कासित या नियोजित करती है;

6.6. यदि एजेंसी के साथ व्यापार व्यवहार सरकार या किसी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है;

6.7. यदि एजेंसी ने भ्रष्ट, कपटपूर्ण प्रथाओं का सहारा लिया है जिसमें तथ्यों की गलत बयानी और / या दस्तावेजों में हेराफेरी / जालसाजी / छेड़छाड़ शामिल है;

6.8. यदि एजेंसी अनुबंध के तहत नौकरी की स्वीकृति / प्रदर्शन में कंपनी (KRCL) या उसके अधिकारी पर डराने / धमकी देने या अनुचित बाहरी दबाव का उपयोग करती है;

6.9. यदि एजेंसी संविदात्मक शर्तों के अनुपालन में बार-बार और/या जानबूझकर देरी की रणनीति का उपयोग करती है;

6.10. कंपनी (KRCL) द्वारा पूर्व-प्रेषण निरीक्षण किया गया था या नहीं, इस पर ध्यान दिए बिना एजेंसी द्वारा घटिया सामग्री की आपूर्ति में जानबूझकर लिप्तता;

6.11. एजेंसी के खिलाफ सीबीआई/पुलिस की जांच रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार पर कंपनी (KRCL) से संबंधित मामलों में दुर्भावनापूर्ण/ गैरकानूनी कृत्यों या अनुचित आचरण के लिए या यहां तक कि अन्यथा;

6.12. अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए एजेंसी की स्थापित वादी प्रकृति;

6.13. कई अनुबंधों में एजेंसी का लगातार खराब प्रदर्शन;

6.14. यदि एजेंसी कंपनी (केआरसीएल) के परिसर या सुविधाओं का दुरुपयोग करती है, तो भूमि, जल संसाधन, वन/पेड़ आदि सहित कंपनी की संपत्तियों पर बलपूर्वक कब्जा, छेड़छाड़ या क्षति पहुंचाती है।

(नोट: ऊपर दिए गए उदाहरण केवल उदाहरण हैं और संपूर्ण नहीं हैं। सक्षम प्राधिकारी किसी भी अच्छे और पर्याप्त कारण के लिए व्यापार व्यवहार पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय ले सकते हैं)।

7.0 व्यापार सौदों पर प्रतिबंध

7.1. आम तौर पर, किसी भी एजेंसी के साथ व्यापारिक व्यवहार पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय पूरे कंपनी में लागू होना चाहिए। तथापि, सक्षम प्राधिकारी परियोजनावार इस तरह का प्रतिबंध तभी लगा सकता है, जब किसी विशेष मामले में संबंधित परियोजनाओं द्वारा व्यापार सौदों पर प्रतिबंध लगाने से उद्देश्य पूरा होगा और अपने उद्देश्य को प्राप्त करने और स्थानीय परिस्थितियों और कदाचार / चूक के

प्रभाव के कारण परियोजना से आगे जाने की उम्मीद नहीं है, को देखते हुए पूरे कंपनी पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता नहीं है।

7.2. प्रत्येक परियोजना में एक स्थायी समिति होगी जिसे अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक द्वारा विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के साथ व्यापार सौदों पर प्रतिबंध लगाने को छोड़कर "व्यापार लेनदेन पर प्रतिबंध" के मामलों को संसाधित करने के लिए नियुक्त किया जाएगा। हालांकि, मदों की खरीद/ठेके देने के लिए, समिति में PCE, FA&CAO, COM, CEE, CSTE, CME और COS के सदस्य शामिल होंगे। संबंधित समिति के संयोजक की नियुक्ति अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा की जाएगी। समिति के कार्यों में अन्य बातों के साथ-साथ शामिल होंगे:

i. जांच एजेंसी की रिपोर्ट का अध्ययन करने के लिए और यह तय करने के लिए कि क्या कंपनी-व्यापी / स्थानीय इकाईवार प्रतिबंध लगाने का कोई प्रथम दृष्टया मामला मौजूद है, यदि नहीं, तो मामले को सक्षम प्राधिकारी को वापस भेजें।

ii. संबंधित विभाग द्वारा एजेंसी को कारण बताओ नोटिस जारी करने की सिफारिश करना।

iii. कारण बताओ नोटिस के जवाब की जांच करना और यदि आवश्यक हो तो एजेंसी को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए बुलाना।

iv. प्रतिबंध लगाने या अन्यथा के लिए सक्षम प्राधिकारी को अंतिम सिफारिश प्रस्तुत करना।

7.3. यदि किसी परियोजना की स्थायी समिति द्वारा कंपनी-व्यापी प्रतिबंध लगाने पर विचार किया जाता है, तो समिति द्वारा केडीसी को प्रस्ताव भेजा जाना चाहिए जिसमें मामले के तथ्यों और प्रस्तावित कार्रवाई के औचित्य को सभी प्रासंगिक कागजात और दस्तावेजों के साथ भेजा जाना चाहिए। केडीसी उस एजेंसी के बारे में केआरसीएल के अन्य सभी स्रोतों से फीडबैक प्राप्त करेगा और इस फीडबैक के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिबंध/या अन्यथा के लिए प्रथम दृष्टया निर्णय लिया जाएगा। इस स्तर पर यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह महसूस किया जाता है कि कंपनी-व्यापी प्रतिबंध के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, तो मामले को उनके स्तर पर आगे की कार्रवाई के लिए परियोजना की समिति को वापस भेज दिया जाएगा।

यदि कंपनी-व्यापी प्रतिबंध लगाने का प्रथम दृष्टया निर्णय लिया गया है, तो केडीसी एजेंसी को एक कारण बताओ नोटिस जारी करेगा जिसमें बताया जाएगा कि इसे पूरे केआरसीएल में प्रतिबंधित क्यों नहीं किया जाना चाहिए।

एजेंसी के जवाब और अन्य परिस्थितियों और मामले के तथ्यों पर विचार करने के बाद, केडीसी कंपनी के व्यापक प्रतिबंध या अन्यथा के लिए अंतिम निर्णय लेने के लिए मामले को अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक को प्रस्तुत करेगा।

7.4. यदि सक्षम प्राधिकारी का प्रथम दृष्टया यह विचार है कि एजेंसी के साथ व्यापार व्यवहार पर प्रतिबंध लगाने के लिए कार्रवाई की आवश्यकता है, तो एजेंसी को पैरा 9.1 के अनुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जा सकता है और तदनुसार जांच की जा सकती है।

7.5. विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के साथ व्यापार लेनदेन पर प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया।

i. एजेंसियों पर प्रतिबंध पूरे कंपनी में लागू होगा।

ii. KDC द्वारा अग्रेषित या सीधे सतर्कता विभाग द्वारा प्राप्त शिकायत के आधार पर सतर्कता विभाग द्वारा जांच की जाएगी।

कदाचार की गंभीरता के आधार पर जांच के बाद, सतर्कता विभाग KDC को अपनी रिपोर्ट KRCL निदेशक समिति को भेज सकता है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं: -

1. निदेशक (संचालन और वाणिज्यिक)
2. निदेशक (वित्त)

समिति प्रतिवेदन की जांच करेगी और सतर्कता विभाग द्वारा संदर्भ प्राप्त होने के 21 दिनों के भीतर अपनी टिप्पणियां/सिफारिशें देगी।

iii. यदि सक्षम प्राधिकारी का मत है कि यह प्रतिबंधात्मक कार्रवाई शुरू करने के लिए उपयुक्त मामला है, तो वह उचित अवधि के भीतर जवाब देने के लिए एजेंसी को कारण बताओ नोटिस जारी करेगा।

iv. उत्तर प्राप्त होने पर या निर्धारित अवधि की समाप्ति पर, मामला निदेशक (संचालन और वाणिज्यिक) द्वारा विचार और निर्णय के लिए KDC को प्रस्तुत किया जाएगा।

v. निदेशक (संचालन और वाणिज्यिक) द्वारा केडीसी के निर्णय के बारे में एजेंसी को सूचित किया जाएगा।

8.0 स्वीकृत एजेंसियों की सूची से हटाना - आपूर्तिकर्ता / ठेकेदार, आदि।

8.1. यदि सक्षम प्राधिकारी यह निर्णय लेता है कि एजेंसी के खिलाफ आरोप मामूली प्रकृति का है, तो वह कारण बताओ नोटिस जारी कर सकता है कि एजेंसी का नाम अनुमोदित एजेंसियों - आपूर्तिकर्ता / ठेकेदार आदि की सूची से क्यों नहीं हटाया जाना चाहिए।

8.2. इस तरह के आदेश का प्रभाव यह होगा कि एजेंसी खुली निविदा पूछताछ में प्रतिस्पर्धा करने के लिए अयोग्य नहीं होगी लेकिन संबंधित एजेंसी को सीमित निविदा पूछताछ नहीं दी जा सकती है।

8.3. ठेका देने के लिए सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए प्रसंस्करण करते समय एजेंसी के पिछले प्रदर्शन को ध्यान में रखा जा सकता है।

9.0 कारण बताओ नोटिस

9.1. यदि सक्षम प्राधिकारी यह निर्णय लेता है कि किसी एजेंसी के विरुद्ध कार्रवाई की जानी है, तो एजेंसी को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाना चाहिए। कदाचार या दुर्व्यवहार के आरोप वाले बयान को कारण बताओ नोटिस के साथ जोड़ा जा सकता है और एजेंसी को 15 दिनों के भीतर अपने बचाव में एक लिखित बयान प्रस्तुत करने के लिए कहा जाना चाहिए।

9.2. यदि एजेंसी KRCL के कब्जे में किसी भी प्रासंगिक दस्तावेज के निरीक्षण के लिए अनुरोध करती है, तो दस्तावेजों के निरीक्षण के लिए आवश्यक सुविधा प्रदान की जा सकती है।

9.3. सक्षम प्राधिकारी उचित बोलने के आदेश पर विचार कर सकता है और पारित कर सकता है:

a) यदि आरोप सिद्ध नहीं होते हैं तो एजेंसी को दोषमुक्त करने के लिए;
b) एजेंसी को अनुमोदित आपूर्तिकर्ताओं/संपर्ककर्ताओं आदि की सूची से हटाने के लिए।
c) एजेंसी के साथ व्यवहार करने वाले व्यवसाय पर प्रतिबंध लगाने के लिए।

9.4. यदि वह व्यापारिक सौदों पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लेता है, तो उस अवधि का उल्लेख किया जा सकता है जिसके लिए प्रतिबंध लागू होगा। आदेश में यह भी उल्लेख किया जा सकता है कि प्रतिबंध एजेंसी की परस्पर जुड़ी संस्थाओं पर लागू होगा।

10.0 सक्षम प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध अपील

10.1. एजेंसी सक्षम प्राधिकारी के व्यापार व्यवहार आदि पर प्रतिबंध लगाने के आदेश के खिलाफ अपील दायर कर सकती है, अपील अपीलीय प्राधिकारी के पास होगी। ऐसी अपील व्यापार व्यवहार आदि पर प्रतिबंध लगाने के आदेश की प्राप्ति की तारीख से एक महीने के भीतर की जाएगी।

10.2. अपीलीय प्राधिकारी अपील पर विचार करेगा और उचित आदेश पारित करेगा जो एजेंसी के साथ-साथ सक्षम प्राधिकारी को भी सूचित किया जाएगा।

11.0 सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय की समीक्षा

अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर करने से पहले या बाद में या अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपील के निपटान के बाद मौजूदा दिशानिर्देशों के तहत केआरसीएल के सक्षम प्राधिकारी द्वारा मूल रूप से पारित प्रतिबंध आदेश की समीक्षा के संबंध में एजेंसी द्वारा दायर कोई याचिका/आवेदन, समीक्षा याचिका का निर्णय KRCL निदेशक समिति (KDC) द्वारा नए तथ्यों / परिस्थितियों के प्रकटीकरण या बाद में इस तरह की समीक्षा के लिए आवश्यक विकास पर निर्णय लिया जा सकता है। KDC उसी याचिका को जांच और सिफारिश के लिए स्थायी समिति को भेज सकता है।

12.0 उन एजेंसियों के नामों का प्रचलन जिनके साथ व्यापारिक व्यवहार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है

12.1. स्थापित कदाचार की गंभीरता के आधार पर, केआरसीएल उस एजेंसी के नामों को प्रसारित कर सकता है जिसके साथ व्यावसायिक व्यवहार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, सरकारी विभागों, अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, आदि को ऐसी कार्रवाई के लिए जो वे उचित समझें।

12.2. यदि सरकारी विभाग या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम उस एजेंसी के बारे में अधिक जानकारी के लिए अनुरोध करते हैं जिसके साथ व्यापार व्यवहार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो सक्षम प्राधिकारी/अपील प्राधिकारी के आदेश की एक प्रति के साथ जांच प्राधिकारी की रिपोर्ट की एक प्रति प्रदान की जा सकती है।

12.3. यदि केंद्र या राज्य सरकार या किसी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम द्वारा किसी एजेंसी के साथ व्यापार व्यवहार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो केआरसीएल बिना किसी जांच या जांच के एजेंसी और उसकी परस्पर जुड़ी संस्थाओं के साथ व्यापार पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी कर सकता है।

12.4. उपरोक्त के आधार पर, केआरसीएल दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन के लिए अपनी स्वयं की प्रक्रिया तैयार कर सकता है और उसे निविदा दस्तावेजों का एक हिस्सा बनाया जा सकता है।

*****

कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड

सामग्री प्रबंधन विभाग

इंटीग्रिटी पैक्ट

कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड (केआरसीएल) को इसके बाद "प्रिंसिपल" के रूप में संदर्भित किया गया है।

और

_____ को इसके बाद "बोली लगाने वाले/ठेकेदार" के रूप में संदर्भित किया गया है।

प्रस्तावना

प्राचार्य निर्धारित संगठनात्मक प्रक्रियाओं के तहत _____ के लिए अनुबंध (ओं) को प्रदान करने का इरादा रखता है

प्रिंसिपल भूमि के सभी प्रासंगिक कानूनों, नियमों, विनियमों, संसाधनों के आर्थिक उपयोग और इसके बोलीदाताओं और / या ठेकेदार (कों) के साथ अपने संबंधों में निष्पक्षता / पारदर्शिता के पूर्ण अनुपालन को महत्व देता है।

इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, प्रिंसिपल एक स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर (आईईएम) की नियुक्ति करेगा, जो ऊपर उल्लिखित सिद्धांतों के अनुपालन के लिए निविदा प्रक्रिया और अनुबंध के निष्पादन की निगरानी करेगा।

धारा 1 - प्रधानाचार्य की प्रतिबद्धताएं

- प्रधानाचार्य भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आवश्यक सभी उपाय करने और निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

a) प्रधानाध्यापक का कोई भी कर्मचारी, व्यक्तिगत रूप से या परिवार के सदस्यों के माध्यम से, निविदा के संबंध में या अनुबंध के निष्पादन के संबंध में, स्वयं या तीसरे व्यक्ति के लिए, किसी भी सामग्री या अभौतिक लाभ जिसका वह व्यक्ति कानूनी रूप से हकदार नहीं है।

b) प्राचार्य, निविदा प्रक्रिया के दौरान सभी बोलीदाताओं के साथ समानता और तर्क के साथ व्यवहार करेगा। प्रधानाचार्य, विशेष रूप से, निविदा प्रक्रिया से पहले और उसके दौरान, सभी बोलीदाताओं को एक ही जानकारी प्रदान करेंगे और किसी भी बोलीदाता (ओं) को गोपनीय/अतिरिक्त जानकारी प्रदान नहीं करेगा जिसके माध्यम से बोलीदाता (ओं) को निविदा प्रक्रिया या अनुबंध निष्पादन के संबंध में लाभ प्राप्त हो सकता है।

- प्राचार्य सभी ज्ञात पूर्वाग्रही व्यक्तियों को प्रक्रिया से बाहर कर देंगे।

c) यदि प्रधानाचार्य को अपने किसी कर्मचारी के आचरण के बारे में जानकारी मिलती है जो आईपीसी/पीसी अधिनियम के तहत एक आपराधिक अपराध है या यदि इस संबंध में कोई वास्तविक संदेह है, तो प्रधानाचार्य मुख्य सतर्कता अधिकारी को सूचित करेंगे और इसके अलावा अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर सकते हैं।

धारा 2 - बोलीदाता(ओं)/ठेकेदार(कों) की प्रतिबद्धताएं

1. बोलीदाता/ठेकेदार भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने के लिए स्वयं प्रतिबद्ध हैं। वह निविदा प्रक्रिया में भाग लेने और अनुबंध निष्पादन के दौरान निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करने के लिए खुद को प्रतिबद्ध करता है।

a) बोलीदाता/ठेकेदार, सीधे या किसी अन्य व्यक्ति या फर्म के माध्यम से, निविदा प्रक्रिया या अनुबंध के निष्पादन में शामिल प्रिंसिपल के किसी भी कर्मचारी को प्रस्ताव, वादा या प्रस्ताव नहीं देंगे या निविदा प्रक्रिया के दौरान या अनुबंध के निष्पादन के दौरान किसी भी प्रकार के किसी भी प्रकार के किसी भी लाभ के बदले में प्राप्त करने के लिए किसी भी तीसरे व्यक्ति को कोई सामग्री या अन्य लाभ जो वह कानूनी रूप से हकदार नहीं है।

b) बोलीदाता/ठेकेदार अन्य बोलीदाताओं के साथ किसी भी अज्ञात समझौते या समझ में प्रवेश नहीं करेंगे, चाहे वह औपचारिक हो या अनौपचारिक। यह विशेष रूप से कीमतों, विनिर्देशों, प्रमाणपत्रों, सहायक अनुबंधों, बोलियों को जमा करने या प्रस्तुत न करने या प्रतिस्पर्धा को प्रतिबंधित करने या बोली प्रक्रिया में कार्टेल गठन शुरू करने के लिए किसी भी अन्य कार्रवाई पर लागू होता है।

c) बोलीदाता/ठेकेदार संबंधित आईपीसी/पीसी अधिनियम के तहत कोई अपराध नहीं करेंगे: इसके अलावा, बोलीदाता/ठेकेदार प्रतिस्पर्धा या व्यक्तिगत लाभ के प्रयोजनों के लिए अनुचित तरीके से उपयोग नहीं करेंगे, या दूसरों को नहीं देंगे, योजनाओं, तकनीकी प्रस्तावों और व्यावसायिक विवरणों

के संबंध में प्रधानाध्यापक द्वारा प्रदान की गई कोई भी जानकारी या दस्तावेज, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप से निहित या प्रसारित जानकारी शामिल है।

d) विदेशी मूल के बोलीदाता/ठेकेदार भारत में एजेंटों/प्रतिनिधियों, यदि कोई हों, के नाम और पते का खुलासा करेंगे। इसी प्रकार भारतीय राष्ट्रीयता के बोलीदाता/ठेकेदार विदेशी प्रधानों का नाम और पता, यदि कोई हो, प्रस्तुत करेंगे। "विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के भारतीय एजेंटों पर दिशानिर्देश" में उल्लिखित आगे के विवरण बोलीदाता/ठेकेदारों द्वारा प्रकट किए जाएंगे। इसके अलावा, जैसा कि दिशानिर्देशों में उल्लेख किया गया है, भारतीय एजेंट/प्रतिनिधि को किए गए सभी भुगतान केवल भारतीय रुपये में होने चाहिए। "विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के भारतीय एजेंटों पर दिशानिर्देश" की प्रति संलग्न है और अनुबंध-10 के रूप में चिह्नित है।

e) बोलीदाता/ठेकेदार, अपनी बोली प्रस्तुत करते समय, अपने द्वारा किए गए किसी भी और सभी भुगतानों का खुलासा करेंगे, अनुबंध के पुरस्कार के संबंध में एजेंटों, दलालों या किसी अन्य मध्यस्थों को करने के लिए प्रतिबद्ध हैं या करने का इरादा रखते हैं।
बोलीदाता (ओं)/ठेकेदार (ओं) तीसरे व्यक्ति को ऊपर उल्लिखित अपराध करने के लिए उकसाएंगे या ऐसे अपराधों के लिए सहायक नहीं होंगे।

2. बोलीदाता (ओं)/ठेकेदार (ओं) तीसरे व्यक्ति को ऊपर उल्लिखित अपराध करने के लिए उकसाएंगे या ऐसे अपराधों के लिए सहायक नहीं होंगे।

II धारा 3 - निविदा प्रक्रिया से अयोग्यता और भविष्य के अनुबंधों से बहिष्करण

यदि बोलीदाता(ओं)/ठेकेदार(ठेकेदारों) ने पुरस्कार देने से पहले या निष्पादन के दौरान उपरोक्त धारा 2 के उल्लंघन के माध्यम से या किसी अन्य रूप में उल्लंघन किया है जैसे कि अपनी विश्वसनीयता या प्राचार्य को निविदा प्रक्रिया से बोलीदाता(कों)/ठेकेदार(कों) को अयोग्य घोषित करने या "व्यापार लेनदेन पर प्रतिबंध लगाने के दिशा-निर्देशों" में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई करने का अधिकार है। "व्यावसायिक सौदों पर प्रतिबंध लगाने संबंधी दिशा-निर्देशों" की प्रति संलग्न है और अनुलग्नक - "बी" के रूप में चिह्नित है।

III धारा 4 - हर्जाने के लिए मुआवजा

(1) यदि प्रधानाचार्य ने धारा 3 के अनुसार निविदा प्रक्रिया से निविदा प्रक्रिया से बोलीदाता को अयोग्य घोषित कर दिया है, तो प्रिंसिपल को बयाना राशि / बोली सुरक्षा के बराबर नुकसान की मांग और वसूली का अधिकार है।

(2) यदि प्रिंसिपल ने धारा 3 के अनुसार अनुबंध को समाप्त कर दिया है या यदि प्रिंसिपल धारा 3 के अनुसार संपर्क समाप्त करने का हकदार है, तो प्रिंसिपल ठेकेदार से अनुबंध मूल्य या प्रदर्शन बैंक गारंटी के बराबर राशि की मांग और वसूली के हकदार होंगे।

IV धारा 5 - पिछला अपराध

(1) बोलीदाता घोषणा करता है कि पिछले 3 वर्षों में किसी भी देश में किसी भी अन्य कंपनी के साथ भ्रष्टाचार विरोधी दृष्टिकोण के अनुरूप या भारत में किसी भी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के साथ ऐसा कोई पूर्व उल्लंघन नहीं हुआ है जो निविदा प्रक्रिया से उसके बहिष्कार को उचित ठहरा सके।

(2) यदि बोलीदाता इस विषय पर गलत बयान देता है, तो उसे निविदा प्रक्रिया से अयोग्य घोषित किया जा सकता है या "व्यापार लेनदेन पर प्रतिबंध लगाने पर दिशानिर्देश" में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है।

धारा 6- सभी बोलीदाताओं/ठेकेदारों/उपठेकेदारों के साथ समान व्यवहार

(1) बोलीदाता/ठेकेदार सभी उप-ठेकेदारों से इस सत्यनिष्ठा समझौते के अनुरूप प्रतिबद्धता की मांग करने और अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले इसे प्रिंसिपल को प्रस्तुत करने का वचन देते हैं।

(2) प्रिंसिपल सभी बोलीदाताओं, ठेकेदारों और उप-ठेकेदारों के साथ समान शर्तों के साथ अनुबंध करेगा।

(3) प्रधानाचार्य निविदा प्रक्रिया से उन सभी बोलीदाताओं को अयोग्य घोषित कर देगा जो इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं या इसके प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं।

धारा 7 - बोली लगाने वाले/ठेकेदारों/उपठेकेदारों के उल्लंघन के खिलाफ आपराधिक आरोप

यदि प्रधानाचार्य को किसी बोलीदाता, ठेकेदार या उपठेकेदार, या किसी कर्मचारी या किसी बोलीदाता के प्रतिनिधि या सहयोगी, उपठेकेदार के ठेकेदार के आचरण का ज्ञान प्राप्त होता है जो भ्रष्टाचार का गठन करता है, या यदि प्रधानाध्यापक को इस संबंध में पर्याप्त संदेह है, तो प्राचार्य इसकी सूचना मुख्य सतर्कता अधिकारी को देंगे।

धारा 8 - स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर / मॉनिटर

(1) प्रधानाचार्य इस संधि के लिए सक्षम और विश्वसनीय स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर की नियुक्ति करते हैं। मॉनिटर का कार्य स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष रूप से समीक्षा करना है कि क्या और किस हद तक पार्टियां इस समझौते के तहत दायित्वों का पालन करती हैं।

(2) मॉनिटर पार्टियों के प्रतिनिधियों द्वारा निर्देश के अधीन नहीं है और अपने कार्यों को निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से करता है। वह केआरसीएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक को रिपोर्ट करता है।

(3) बोलीदाता/ठेकेदार यह स्वीकार करते हैं कि मॉनिटर को बिना किसी प्रतिबंध के प्रिंसिपल के सभी प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन तक पहुंचने का अधिकार है, जिसमें ठेकेदार द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेज भी शामिल हैं। ठेकेदार, उसके अनुरोध और वैध हित के प्रदर्शन पर, उसके परियोजना प्रलेखन के लिए अप्रतिबंधित और बिना शर्त पहुंच पर, मॉनिटर को भी अनुदान देगा। उपठेकेदारों पर भी यही बात लागू होती है। बोलीदाताओं/ठेकेदारों/उपठेकेदारों की जानकारी और दस्तावेजों को गोपनीयता के साथ व्यवहार करने के लिए मॉनिटर संविदात्मक दायित्व के अधीन है।

(4) प्रिंसिपल मॉनिटर को परियोजना से संबंधित पार्टियों के बीच सभी बैठकों के बारे में पर्याप्त जानकारी प्रदान करेगा, बशर्ते ऐसी बैठकों से प्रिंसिपल और ठेकेदार के बीच संविदात्मक संबंधों पर असर पड़ सकता है। पार्टियां मॉनिटर को ऐसी बैठकों में भाग लेने का विकल्प प्रदान करती हैं।

(5) जैसे ही मॉनिटर नोटिस करता है, या इस समझौते के उल्लंघन को नोटिस करने का विश्वास करता है, वह प्रिंसिपल के प्रबंधन को सूचित करेगा और प्रबंधन को बंद करने या सुधारात्मक कार्रवाई करने, या अन्य प्रासंगिक कार्रवाई करने का अनुरोध करेगा। इस संबंध में मॉनीटर गैर-बाध्यकारी सिफारिशें प्रस्तुत कर सकता है। इसके अलावा, मॉनिटर को पार्टियों से यह मांग करने का कोई अधिकार नहीं है कि वे एक विशिष्ट तरीके से कार्य करें, कार्रवाई से परहेज करें या कार्रवाई को सहन करें।

(6) मॉनिटर, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, केआरसीएल को प्राचार्य द्वारा संदर्भ या उन्हें सूचित करने की तारीख से 8 से 10 सप्ताह के भीतर एक लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और, यदि अवसर उत्पन्न होता है, समस्याग्रस्त स्थितियों को ठीक करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा।

(7) मॉनिटर उसी शर्तों पर मुआवजे का हकदार होगा जैसा कि केआरसीएल बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों को दिया गया है/प्रदान किया गया है।

(8) यदि मॉनिटर ने अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, केआरसीएल को सूचित किया है, तो प्रासंगिक आईपीसी/पीसी अधिनियम के तहत अपराध का एक प्रमाणित संदेह है, और अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक केआरसीएल ने उचित समय के भीतर ऐसे अपराध के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए स्पष्ट कार्रवाई नहीं की है या इसकी सूचना मुख्य सतर्कता अधिकारी को दी जाती है, मॉनिटर इस सूचना को सीधे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को भी प्रेषित कर सकता है।

(9) "मॉनिटर" शब्द में एकवचन और बहुवचन दोनों शामिल होंगे।

धारा 9 - संधि अवधि

यह समझौता तब शुरू होता है जब दोनों पक्षों ने कानूनी रूप से इस पर हस्ताक्षर किए हैं। यह अनुबंध के तहत अंतिम भुगतान के 12 महीने बाद ठेकेदार के लिए समाप्त हो जाता है, और अन्य सभी बोलीदाताओं के लिए अनुबंध दिए जाने के 6 महीने बाद।

यदि इस समय के दौरान कोई दावा किया जाता है / दर्ज किया जाता है, तो वह बाध्यकारी होगा और ऊपर निर्दिष्ट इस समझौते के समाप्त होने के बावजूद वैध रहेगा, जब तक कि अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, केआरसीएल द्वारा इसका निर्वहन / निर्धारण नहीं किया जाता है।

धारा 10 - अन्य प्रावधान

(1) यह समझौता भारतीय कानून के अधीन है। प्रदर्शन और क्षेत्राधिकार का स्थान प्रिंसिपल का पंजीकृत कार्यालय है, यानी मुंबई / नवी मुंबई।

(2) परिवर्तन और पूरक के साथ-साथ समाप्ति की सूचना लिखित रूप में दी जानी चाहिए। पक्ष समझौते नहीं किए गए हैं।

(3) यदि ठेकेदार एक साझेदारी या एक संघ है, तो इस समझौते पर सभी भागीदारों या संघ के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।

(4) यदि इस अनुबंध के एक या अधिक प्रावधान अमान्य हो जाते हैं, तो इस अनुबंध का शेष भाग वैध रहता है। इस मामले में, पार्टियां अपने मूल इरादों के लिए एक समझौते पर आने का प्रयास करेंगी।

_____	_____
(प्रधानाचार्य के लिए और उनकी ओर से)	(बोलीदाता/ठेकेदार के लिए एवं उनकी ओर से)
कार्यालय की मुहर	कार्यालय की मुहर

स्थान: _____

दिनांक:_____

साक्षी 1 :	साक्षी 2 :
नाम & पता :_____	नाम & पता :_____

कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड

सामग्री प्रबंधन विभाग

_____ _____
_____ _____
_____ . _____ .

अनुलग्नक -I

बोलीदाता/ठेकेदार को निविदा के साथ संलग्न नियमों और शर्तों के अनुसार केआरसीएल के साथ सत्यनिष्ठा समझौते पर हस्ताक्षर करना आवश्यक है। यदि कोई बोलीदाता/ठेकेदार सत्यनिष्ठा समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करता है, तो उसकी बोली/संविदा अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी होगा।

I. "बोली लगाने वाले या ठेकेदार" की प्रतिबद्धताएं और दायित्व

a) काउंटर-पार्टी, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से (एजेंट, सलाहकार, सलाहकार, आदि के माध्यम से), केआरसीएल से निपटने में अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए किसी को कोई रिश्वत / प्रभाव या अनुचित / गैरकानूनी लाभ नहीं देगा।

b) प्रतिपक्ष अन्य प्रतिपक्षकारों के साथ मूल्य निर्धारण आदि सहित किसी भी प्रकार की मिलीभगत में शामिल नहीं होगा।

c) जब तक विशेष रूप से केआरसीएल द्वारा लिखित रूप में अधिकृत नहीं किया जाता है, काउंटर पार्टी किसी तीसरे पक्ष को केआरसीएल की गोपनीय जानकारी नहीं देगी।

d) प्रतिपक्षकार अपने-अपने संगठनों के भीतर सर्वोत्तम नैतिक प्रथाओं को बढ़ावा देंगे और उनका पालन करेंगे।

e) प्रतिपक्ष स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर को सूचित करेगा।

   i. यदि उसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रिश्वत/पक्ष या किसी अवैध परितोषण/भुगतान/लाभ के लिए कोई मांग प्राप्त हुई हो;

   ii. यदि किसी अनैतिक या अवैध भुगतान/लाभ के बारे में पता चलता है;

   iii. यदि यह किसी KRCL सहयोगी को कोई भुगतान करता है।

f) प्रतिपक्ष केआरसीएल या उसके सहयोगियों के खिलाफ कोई झूठा या भ्रामक आरोप नहीं लगाएगा।

II. उल्लंघन और परिणाम:

a) यदि कोई प्रतिपक्ष बोली प्रक्रिया के दौरान सत्यनिष्ठा संधि कार्यक्रम के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं और दायित्वों का उल्लंघन करता है, तो उनकी पूरी बयाना राशि / बोली सुरक्षा जब्त कर ली जाएगी और इसके अलावा, उन्हें भविष्य में केआरसीएल व्यवसाय से ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है।

b) अनुबंध दिए जाने के बाद काउंटरपार्टी द्वारा सत्यनिष्ठा समझौते के उल्लंघन के मामले में, केआरसीएल अनुबंध को समाप्त करने का हकदार होगा। केआरसीएल ऐसे मामलों में प्रतिपक्ष को देय सुरक्षा जमा, बैंक गारंटी (ओं) और अन्य भुगतानों को भुनाएगा,

c) स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर की संतुष्टि के अधीन, केआरसीएल प्रतिबंध/काली सूची में/छुट्टी पर रख सकता है और काउंटरपार्टी को भविष्य के सौदों से बाहर कर सकता है जब तक कि केआरसीएल संतुष्ट न हो कि काउंटरपार्टी भविष्य में ऐसा कोई उल्लंघन नहीं करेगा।

d) उपरोक्त के अलावा, केआरसीएल उल्लंघन करने वाले काउंटरपार्टी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, अगर काउंटरपार्टी द्वारा लगाए गए आरोप बेबुनियाद, असत्य और भ्रामक पाए जाते हैं और इसके लिए अनुकरणीय लागत भी लगा सकते हैं।

e) यदि उपरोक्त (डी) गलत पाया जाता है, तो प्रतिपक्ष स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर द्वारा निर्धारित अनुसार दावा करने का हकदार होगा।

स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर (IEMS)

KRCL द्वारा निम्नलिखित स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर्स (आईईएम) को अखंडता समझौते (आईपी) के संदर्भ में नियुक्त किया गया है, जो केआरसीएल निविदाओं / अनुबंधों का हिस्सा है।

1. श्री देवेंद्र कुमार शर्मा, IDAS (सेवानिवृत्त)
   (ई-मेल ID: shharmadk@gmail.com)
2. श्रीमती उषा चंद्रशेखर, IPoS (सेवानिवृत्त)
   (ई-मेल ID: ushachandrasekhar@gmail.com)

यह पैनल इस निविदा के तहत किए गए सभी संदर्भों की जांच/विचार करने के लिए अधिकृत है। बोलीदाता, इस निविदा से संबंधित किसी भी विवाद/शिकायत के मामले में कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के KRCL में नामित निविदा जारी करने वाले अधिकारी के साथ इस मुद्दे को उठा सकते हैं। कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड, प्लॉट नंबर 6, सेक्टर 11, बेलापुर भवन, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई - 400 614 में पंजीकृत और कॉर्पोरेट कार्यालय या सीधे पैनल पर आईईएम के साथ।

कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड

सामग्री प्रबंधन विभाग

दिनांक:_____

सेवा में,

_____
_____
_____
_____ .

विषय: निविदा संख्या / अनुबंध संख्या _____ .

1. यदि निविदा/बोली जमा करने का समय 7 दिनों से कम है तो स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर को कोई संदर्भ नहीं दिया जा सकता है। यह भी नोट किया जाए कि निविदा जमा करने के लिए कोई समय विस्तार की अनुमति नहीं दी जाएगी।
2. केवल उन बोलीदाताओं के संदर्भ पर विचार किया जाएगा जिन्होंने निविदा दस्तावेज खरीदा है और सत्यनिष्ठा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
3. आवेदन तीन प्रतियों में किया जाएगा - एक KRCL को भेजा जाएगा और उसकी दो प्रतियां आईईएम को भेजी जाएंगी।

A) <u>प्री-टेंडर चरण</u>

I. निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें: -

a) क्या निविदा दस्तावेज खरीदा गया है।
हां/नहीं (यदि हां, तो रसीद संख्या बताएं)

b) यदि वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है, तो क्या उसके लिए शुल्क जमा किया गया है। हां / नहीं

c) क्या आईईएम को प्रस्तुत करने से पहले केआरसीएल को प्रश्न दिया गया है हां/नहीं (यदि हां, तो कृपया प्रश्न प्रस्तुत करने की तिथि बताएं)।

d) यदि उत्तर प्राप्त हो गया है, तो कृपया इसकी एक प्रति संलग्न करें उत्तर।

II. कृपया निविदा में खंड का संदर्भ देते हुए प्रश्न को स्पष्ट शब्दों में बताएं।

B) <u>निविदाओं के मूल्यांकन से संबंधित मुद्दे:</u>

I. क्या केआरसीएल को कोई संदर्भ दिया गया है हां/नहीं (यदि हां, तो केआरसीएल से प्राप्त उत्तर संलग्न करें।)

II. जिस मुद्दे पर रेफर किया जा रहा है।

III. प्रश्न के संदर्भ में दस्तावेजी प्रमाण संलग्न करें।

C) <u>मामले में अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए/निष्पादन चरण</u>

I. अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की तिथि।
II. कृपया बताएं कि क्या अनुबंध के अनुसार निष्पादन गारंटी प्रस्तुत की गई है। हां नहीं
III. समझौता खंड संख्या जिसके खिलाफ शिकायत की जा रही है।
IV. सत्यनिष्ठा संधि खंड जिसके तहत संदर्भ दिया जा रहा है।

D) <u>मुद्दों का संदर्भ: (कृपया प्रश्न बताएं)</u>

I. कृपया बताएं कि क्या केआरसीएल को कोई संदर्भ दिया गया था। हां/नहीं। (यदि हां, तो केआरसीएल का उत्तर संलग्न करें)
II. यदि कोई संदर्भ नहीं दिया जाता है, तो कृपया ध्यान दें कि जब तक मामला किसी भ्रष्ट आचरण से संबंधित नहीं है, तब तक केआरसीएल को पहला संदर्भ दिया जाना आवश्यक है।

हस्ताक्षर :_____
कंपनी का नाम:_____
पता :_____
टेलीफोन का नंबर:_____
मोबाइल नंबर :_____
फैक्स नंबर :_____
ईमेल ID :_____

(यदि आवश्यक हो, तो मुद्दों के विवरण के लिए कृपया अलग शीट संलग्न करें)

Railway Board Circulars

रेलवे बोर्ड पत्र संख्या 99/RS(G)/709/4 दिनांक 12.02.2016

निरीक्षण शुल्क: निरीक्षण नीति

कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड

सामग्री प्रबंधन विभाग

पुनर्निरीक्षण के लिए लगाए जाने वाले प्रभार पिछली बार रेलवे बोर्ड के पत्र दिनांक 23.2.2001 द्वारा परिचालित किए गए थे। सामान्य मुद्रास्फीति के आलोक में और खराब गुणवत्ता रिकॉर्ड वाले विक्रेताओं को हतोत्साहित करने के लिए, आपूर्तिकर्ता द्वारा निरीक्षण एजेंसी को निम्नलिखित पुन: निरीक्षण शुल्क का भुगतान किया जाएगा।

A(i) निरीक्षण के लिए सामग्री उपलब्ध कराने में विफलता

चालू	नया
निरीक्षण शुल्क का 50% अधिकतम 5000 रुपये तक	(ए) निरीक्षण अभियंता (आईई) की यात्रा से पहले: अधिकतम 11000 रुपये तक निरीक्षण शुल्क का 50% (बी) आईई की यात्रा के बाद: उपरोक्त 'ए' में देय शुल्क का दोगुना।

A(i i) फर्म के परिसर में सामग्री की अस्वीकृति के कारण सामग्री का पुन: निरीक्षण करना पड़ता है

चालू	नया
निरीक्षण शुल्क का 50% + वास्तविक परीक्षण शुल्क	100% निरीक्षण शुल्क + वास्तविक परीक्षण शुल्क।

A(iii) सामग्री नहीं भेजने के कारण दोबारा जांच करनी पड़ती है

चालू	नया
निरीक्षण शुल्क का 50% + वास्तविक परीक्षण शुल्क	100% निरीक्षण शुल्क + वास्तविक परीक्षण शुल्क।

A(iv) जहां कहीं भी निर्माता के परिसर के बाहर निरीक्षण एजेंसी (जैसे राइट्स) द्वारा परीक्षण किया जाना आवश्यक है (अनुबंध 1303 और 1304 की आईआरएस शर्त के अनुसार) सभी परीक्षण निरीक्षण एजेंसी (जैसे राइट्स) द्वारा या तो इसके द्वारा अनुमोदित अपनी प्रयोगशाला/प्रयोगशालाओं में या एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में किए जाएंगे।

इसके अलावा, कच्चे माल को छोड़कर चल स्टॉक के पुर्जे और फिटिंग, जो निरीक्षण के दौरान अस्वीकृत पाए गए हैं और जिन्हें ठीक नहीं किया जा सकता है, ऐसी अस्वीकृत सामग्री के पुनर्चक्रण से बचने और

परिसंपत्तियों की अंतिम विफलता से बचने के लिए निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा विरूपित किया जाना आवश्यक है। रेलवे को फिर से बिक्री को रोकने के लिए रोलिंग स्टॉक की ऐसी सभी अस्वीकृत सामग्री को यांत्रिक रूप से विरूपित किया जाना चाहिए।

प्रावधान ए(i) से ए(iv) और पैरा 2 निविदा दस्तावेज का हिस्सा होंगे।

यह लिंक में उपलब्ध है -
http://www.indianrailways.gov.in/railwayboard/uploads/directorate/stores/downloads/circular/2016/Inspection%20charges%20policy0001.pdf

रेलवे बोर्ड पत्र संख्या 2001/RS(G)/779/7 Pt.1 दिनांक 29.06.2017
अनुमोदित स्रोतों/विक्रेता अनुमोदन पर आदेश देना

बोर्ड के उपरोक्त पत्रों के संदर्भ में, कुछ रेलवे इकाइयों ने मुख्य रूप से निम्नलिखित के संबंध में कुछ स्पष्टीकरण मांगे हैं:
निम्नलिखित सामान्य शर्तों को निविदाओं में जोड़ा जा सकता है:
"जब भी नामित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित स्रोतों से खरीद प्रतिबंध के साथ निविदा जारी की जाती है और अनुमोदित स्रोतों द्वारा एक संदिग्ध कार्टेल स्थिति मौजूद है या अनुमोदित स्रोत/स्रोतों से उपलब्ध दरों को अनुचित रूप से उच्च माना जाता है, अनुमति के अनुसार उचित प्रयासों के बावजूद, खरीदार बिना किसी प्रतिबंध के अनुमोदित विक्रेताओं की सूची के बाहर फर्मों पर ऑर्डर देने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

यह लिंक में उपलब्ध है -
http://www.indianrailways.gov.in/railwayboard/uploads/directorate/stores/downloads/circular/2017/Ordering_approved_sources_Vendor_approval_290617.pdf

रेलवे बोर्ड पत्र संख्या 99/RS(G)/709/4 दिनांक 20.10.2016
निरीक्षण की नीति: निरीक्षण शुल्क में संशोधन
RITES को उसके द्वारा किए गए निरीक्षण के लिए देय वर्तमान निरीक्षण शुल्क पीओ मूल्य का 0.45% है। यह रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या 77/RS(G)/379/2 dt.04.06.1976 द्वारा तय किया गया था।

रेलवे बोर्ड ने इसकी समीक्षा की है। राइट्स को देय संशोधित निरीक्षण शुल्क पीओ या उसके हिस्से के मूल्य का 0.90% होगा (जब भी आंशिक मात्रा का निरीक्षण किया जाता है।)

संशोधित निरीक्षण प्रभार उन सभी निरीक्षणों पर प्रभावी होंगे जिनके निरीक्षण प्रमाण पत्र की तिथि इस पत्र के जारी होने के बाद की है।

यह लिंक में उपलब्ध है -
http://www.indianrailways.gov.in/railwayboard/uploads/directorate/stores/downloads/circular/2016/Policy%20of%20inspenction.pdf

संशोधित आदेश इस प्रकार हैं:
रेलवे बोर्ड पत्र संख्या 2020/RS(G)/11/5/ दिनांक 09.06.2020
कोविड-19 से उत्पन्न अप्रत्याशित घटना की स्थिति: राइट्स निरीक्षण प्रमाणपत्रों की समाप्ति

यह लिंक में उपलब्ध है -
https://indianrailways.gov.in/railwayboard/uploads/directorate/stores/downloads/circular/2020/Validity_of_RITES_IC_COVID19_period.pdf

रेलवे बोर्ड पत्र संख्या 99/RS(G)/709/1 टी.18.11.2016
स्वीकृत/पंजीकृत स्रोतों पर आदेश देना
रेलवे बोर्ड ने अपने उपरोक्त पत्रों के माध्यम से अनुमोदित स्रोतों पर आदेश देने से संबंधित विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट किया है, जहां भी स्रोत भाग- I और भाग- II श्रेणियों में अनुमोदित हैं।

रेलवे बोर्ड द्वारा अनुमोदित/पंजीकृत स्रोतों के बीच भाग-I और भाग-II वर्गीकरण को बनाए रखने के मुद्दे पर विचार किया गया है और इस तरह के वर्गीकरण को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।

उपरोक्त निर्णय के परिणामस्वरूप:
विक्रेताओं की भाग-I और भाग-II श्रेणियां, जहां कहीं भी इस प्रकार अनुमोदित/पंजीकृत हैं, तत्काल प्रभाव से "स्वीकृत विक्रेता" के रूप में विलय हो जाएंगी। नामित एजेंसियों द्वारा तदनुसार नई विक्रेता निर्देशिका जारी की जाएगी। इसी तरह, विक्रेताओं का नया अनुमोदन/पंजीकरण, अब से केवल अनुमोदित विक्रेताओं के रूप में किया जाएगा और अनुमोदित/पंजीकृत विक्रेताओं के बीच अनुमोदन/पंजीकरण एजेंसियों के बीच किसी भी उप-वर्गीकरण से बाहर निकलना बंद हो जाएगा। रेलवे बोर्ड के कोई अन्य निर्देश, जहां अनुमोदित/पंजीकृत विक्रेताओं से खरीद के लिए भाग- I और भाग- II वर्गीकरण मौजूद हैं, तदनुसार संशोधित माने जाएंगे।

यह लिंक में उपलब्ध है -
http://www.indianrailways.gov.in/railwayboard/uploads/directorate/stores/downloads/circular/RS%20G/Ordering_181116_pdf.pdf

कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड

सामग्री प्रबंधन विभाग

रेलवे बोर्ड पत्र संख्या 2001/RS(G)/779/7 दिनांक 07.12.2016
सुरक्षा और महत्वपूर्ण वस्तुओं के लिए विक्रेता की स्वीकृति / पंजीकरण।

आरडीएसओ विभिन्न सुरक्षा/महत्वपूर्ण वस्तुओं के लिए विक्रेताओं का पंजीकरण/अनुमोदन करता रहा है। "वन मैन (श्रीधरन) कमेटी रिपोर्ट" की अंतिम सिफारिशों के आलोक में इस समारोह के विकेंद्रीकरण के मुद्दे पर बोर्ड द्वारा विचार-विमर्श किया गया है। उस पर माननीय एमआर के निर्णय के आधार पर, अब यह निर्णय लिया गया है कि अब से आरडीएसओ द्वारा की गई विभिन्न सुरक्षा/महत्वपूर्ण वस्तुओं के लिए विक्रेता मूल्यांकन और अनुमोदन निम्नलिखित एजेंसियों द्वारा किया जाएगा -

DLW, DMW, CLW,, ICF, RCF, RDSO

यह लिंक में उपलब्ध है -
http://www.indianrailways.gov.in/railwayboard/uploads/directorate/stores/downloads/circular/2016/Vendor_Appr_Safety_01032017.pdf

रेलवे बोर्ड से संशोधित आदेश इस प्रकार हैं:
रेलवे बोर्ड पत्र संख्या 2001/RS(G)779/7 Pt.1 दिनांक 29.06.2017
अनुमोदित स्रोतों/विक्रेता अनुमोदन पर आदेश देना
यह लिंक में उपलब्ध है -
https://indianrailways.gov.in/railwayboard/uploads/directorate/stores/downloads/circular/2017/Ordering_approved_sources_Vendor_approval_290617.pdf

रेलवे बोर्ड पत्र संख्या 2001/RS(G)779/7 Pt.2 दिनांक 25.06.2018
विभिन्न सुरक्षा और महत्वपूर्ण मदों के लिए RDSO द्वारा मूल्यांकन/विकसित/अनुमोदित स्रोतों पर आदेश
यह लिंक में उपलब्ध है -
https://indianrailways.gov.in/railwayboard/uploads/directorate/stores/downloads/circular/RS%20G/5703_RDSO%20Master%20Circ%2025062018.pdf

रेलवे बोर्ड पत्र संख्या 2001/RS(G)779/7 Pt.2 दिनांक 27.09.2018
विभिन्न सुरक्षा और महत्वपूर्ण मदों के लिए आरडीएसओ द्वारा मूल्यांकन/विकसित/अनुमोदित स्रोतों पर आदेश

यह लिंक में उपलब्ध है -
https://indianrailways.gov.in/railwayboard/uploads/directorate/stores/downloads/circular/RS%20G/5703_RDSO%20Master%20Circ%2025062018.pdf

कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड

सामग्री प्रबंधन विभाग

रेलवे बोर्ड पत्र संख्या 2001/RS(G)779/7 Pt.2 दिनांक 27.09.2018

विभिन्न सुरक्षा और महत्वपूर्ण मदों के लिए आरडीएसओ द्वारा मूल्यांकन/विकसित/अनुमोदित स्रोतों पर आदेश

यह लिंक में उपलब्ध है -

https://indianrailways.gov.in/railwayboard/uploads/directorate/stores/downloads/circular/2018/Ordering_270918.pdf

रेलवे बोर्ड पत्र संख्या 2001/RS(G)779/7 Pt.2 (1) दिनांक 06.11.2018

RDSO स्वीकृत विक्रेताओं पर आदेश

यह लिंक में उपलब्ध है -

https://indianrailways.gov.in/railwayboard/uploads/directorate/stores/downloads/circular/2019/RS(G)_RDSO_ApprovedVendors_06112018(R).pdf

रेलवे बोर्ड पत्र संख्या 2001/RS(G)779/7 Pt.2 दिनांक 20.12.2018

RDSO स्वीकृत विक्रेताओं पर आदेश

यह लिंक में उपलब्ध है -

https://indianrailways.gov.in/railwayboard/uploads/directorate/stores/downloads/circular/2018/RDSO_Approved_Vendors_201218.pdf

रेलवे बोर्ड पत्र संख्या 2001/RS(G)779/7 दिनांक 07.11.2019

RDSO स्वीकृत विक्रेताओं पर आदेश

यह लिंक में उपलब्ध है -

https://indianrailways.gov.in/railwayboard/uploads/directorate/stores/downloads/circular/2019/RS(G)_approvedsources_07112019.pdf

रेलवे बोर्ड पत्र संख्या 2001/RS(G)779/7 Pt.4 दिनांक 06.10.2020

RDSO स्वीकृत विक्रेताओं पर आदेश

यह लिंक में उपलब्ध है -

https://indianrailways.gov.in/railwayboard/uploads/directorate/stores/downloads/2020/Ordering_061020.pdf

रेलवे बोर्ड पत्र संख्या 2021/RS(G)779/7 दिनांक 18.01.2022

विक्रेता अनुमोदन प्रक्रिया - पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना।

यह लिंक में उपलब्ध है -

https://indianrailways.gov.in/railwayboard/uploads/directorate/stores/downloads/2022/Vendor%20approval%20process%20-%20ensuring%20transparency%20and%20competition%2018012022.pdf

रेलवे बोर्ड पत्र संख्या 2021/RS(G)779/7 दिनांक 30.03.2022

स्वीकृत स्रोतों से खरीद - विक्रेता निर्देशिका

यह लिंक में उपलब्ध है -

https://indianrailways.gov.in/railwayboard/uploads/directorate/stores/downloads/2022/Procurement-300322.pdf

6. रेलवे बोर्ड पत्र संख्या 2011/RS(G)/779/9 दिनांक 01.02.2017

तरजीही बाजार पहुंच (पीएमए) नीति दिनांक 5 अक्टूबर 2012 के तहत अधिसूचित दूरसंचार उत्पादों के संबंध में सरकारी खरीद में घरेलू स्तर पर निर्मित दूरसंचार उत्पादों को वरीयता के लिए मूल्यवर्धन मानदंड।

यह लिंक में उपलब्ध है -

http://www.indianrailways.gov.in/railwayboard/uploads/directorate/stores/downloads/circular/2017/Value_Addition_Criterian_010217.pdf

7. रेलवे बोर्ड पत्र संख्या 2010/RS(G)/363/1 दिनांक 04.07.2017

पूर्व अनुभव - पूर्व टर्नओवर मानदंड पर सार्वजनिक खरीद में स्टार्टअप और सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए मानदंडों में छूट।

MSME का नीति परिपत्र संख्या 1(2)(1)/2016-MA दिनांक 10.03.2016

(1) भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2012 से सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) आदेश 2012 के लिए सार्वजनिक खरीद नीति अधिसूचित की है और केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों/सीपीएसयू द्वारा कुल खरीद के सूक्ष्म और लघु उद्यमों से 20% खरीद 1 अप्रैल 2015 से अनिवार्य हो गई है।

(2) भारत सरकार ने भारत में स्टार्ट-अप के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए 'स्टार्ट-अप इंडिया' पहल की घोषणा की है।

(3) स्टार्ट-अप आमतौर पर सूक्ष्म और लघु उद्यम होते हैं जिनका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं हो सकता है। इनमें निर्धारित तकनीकी और गुणवत्ता विनिर्देशों के अनुसार सामान और सेवाओं को वितरित करने की तकनीकी रूप से क्षमता होगी, और पूर्व अनुभव-पूर्व कारोबार से संबंधित योग्यता मानदंड को पूरा करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं।

(4) सूक्ष्म और लघु उद्यम आदेश 2012 के लिए सार्वजनिक खरीद नीति के पैरा 16 का प्रयोग करते हुए, यह स्पष्ट किया जाता है कि सभी केंद्रीय मंत्रालय/विभाग/केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम गुणवत्ता और तकनीकी विशिष्टताओं को पूरा करने के अधीन सभी सार्वजनिक खरीद में सूक्ष्म और लघु उद्यमों के संबंध में पूर्व कारोबार और पूर्व अनुभवों की शर्त में छूट दे सकते हैं।

यह लिंक में उपलब्ध है -

http://www.indianrailways.gov.in/railwayboard/uploads/directorate/stores/downloads/circular/RS%20G/Relaxation_Norms_Startup210717.pdf

संशोधित रेलवे बोर्ड का आदेश इस प्रकार है

रेलवे बोर्ड पत्र संख्या 2010/RS(G)/363/1 दिनांक 04.05.2018

पूर्व अनुभव - पूर्व टर्नओवर मानदंड पर सार्वजनिक खरीद में स्टार्टअप और सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए मानदंडों में छूट।

MSME नीति परिपत्र संख्या 1 (2) (1)/2016-MA dt.10.03.2016

यह लिंक में उपलब्ध है -

https://indianrailways.gov.in/railwayboard/uploads/directorate/stores/downloads/circular/2018/MSEs_040518.pdf

8 रेलवे बोर्ड पत्र संख्या 2008/RS(G)/777/1 दिनांक 06.07.2017

GST अधिनियम, 2017 का अनुपालन - विशेष निविदा शर्तें

"यदि सफल निविदाकर्ता सीजीएसटी / आईजीएसटी / यूटीजीएसटी / एसजीएसटी अधिनियम के तहत पंजीकृत होने के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो रेलवे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (आरसीएम) के तहत अपने बिलों से लागू जीएसटी काटेगा और संबंधित कर प्राधिकरण को जमा करेगा।"

यह लिंक में उपलब्ध है -

http://www.indianrailways.gov.in/railwayboard/uploads/directorate/stores/downloads/circular/2017/Compliance_GST_11072014.pdf

9 रेलवे बोर्ड पत्र संख्या 95/RS(G)/796/1 दिनांक 31.07.2017

निविदा दस्तावेजों की लागत।

GFR 2017 के पैरा 161 (iv) के तहत शामिल प्रावधान को सक्षम करने के मद्देनजर, यह निर्णय लिया गया है कि, अब से, बोलीदाताओं द्वारा डाउनलोड किए गए निविदा दस्तावेजों के लिए निविदा दस्तावेज की लागत को समाप्त कर दिया गया है।

यह लिंक में उपलब्ध है -

http://www.indianrailways.gov.in/railwayboard/uploads/directorate/mec_engg/downloads/Traction/2017/Cost_Tender_Document_310717.pdf

10 रेलवे बोर्ड पत्र संख्या 2015/RS(G)/779/5 दिनांक 03.08.2017.

सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता), आदेश 2017

कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड

सामग्री प्रबंधन विभाग

सामान्य वित्तीय नियम 2017 के नियम 153 (iii) के अनुसार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग ने सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता), आदेश 2017 जारी किया है। यह आदेश आय और रोजगार को बढ़ाने की दृष्टि से भारत में वस्तुओं और सेवाओं के विनिर्माण और उत्पादन को बढ़ावा देने की भारत सरकार की नीति के अनुसरण में है।

मेक इन इंडिया को वरीयता उपरोक्त दिनांक 03.08.2017 के रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या के अनुसार लागू होगी जिसे लिंक में देखा जा सकता है। ये आदेश सभी मंत्रालयों/विभागों/ CPSUs आदि पर लागू होते हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा जारी विषय आदेश की प्रति मार्गदर्शन और अनुपालन के लिए अनुलग्नक-ए के रूप में संलग्न है।
अनुलग्नक-ए लिंक में उपलब्ध है।
https://indianrailways.gov.in/railwayboard/uploads/directorate/stores/downloads/2021/Revised%20Clause%2010d-Letter%20%2001062021.pdf

रेलवे बोर्ड ने संशोधित 'मेक इन इंडिया' नीति के नीचे उल्लिखित पत्रों के माध्यम से -
रेलवे बोर्ड पत्र संख्या 2015/RS(G)/779/5 दिनांक 13.06.2021
सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता), आदेश 2017
यह लिंक में उपलब्ध है -
https://indianrailways.gov.in/railwayboard/uploads/directorate/stores/downloads/circular/2021/PPP-MII-13062021.pdf

रेलवे बोर्ड पत्र संख्या 2015/RS(G)/779/5 (Vol-III) दिनांक 07.07.2021
सार्वजनिक खरीद का कार्यान्वयन (मेक इन इंडिया को वरीयता), आदेश 2017
यह लिंक में उपलब्ध है -
https://indianrailways.gov.in/railwayboard/uploads/directorate/stores/downloads/2021/Inclusion%20of%20Grease%20seal%20in%20Negative%20list%20070721.pdf

रेलवे बोर्ड पत्र संख्या 2020/RS(G)/779/2 दिनांक 11.08.2021
सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) परियोजनाओं सहित भारत सरकार की सभी खरीद के लिए सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता), आदेश 2017 की प्रयोज्यता।
यह लिंक में उपलब्ध है -
https://indianrailways.gov.in/railwayboard/uploads/directorate/stores/downloads/2021/Applicability%20of%20PPP-MII%20guidelines%20on%20PPP%2011082021.pdf

रेलवे बोर्ड पत्र संख्या 2020/RS(G)/779/2 दिनांक 12.08.2021
सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता), आदेश 2017 का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करना
यह लिंक में उपलब्ध है -
https://indianrailways.gov.in/railwayboard/uploads/directorate/stores/downloads/circular/2021/Reiteration-12082021.pdf

11 रेलवे बोर्ड पत्र संख्या 87/RS(G)/779/9 दिनांक 08.08.2017
WPI के आधार वर्ष में परिवर्तन और रेलवे अनुबंधों में पीवीसी पर इसका प्रभाव

उपलब्ध WPI सूचकांकों के साथ अनुबंध की शर्तों को संरेखित करने के लिए, निम्नलिखित पैरामीटर को अपनाया जाएगा:

I. मार्च, 2017 तक, पीवीसी क्लॉज को संचालित करने के लिए 2004-05 के आधार वाले सूचकांकों का उपयोग किया जाएगा। यह अनुबंध का हिस्सा होने और निष्पादित करने के लिए व्यवहार्य होने के कारण वैध और व्यावहारिक अनुबंध की पवित्रता सुनिश्चित करने के लिए छेड़छाड़ नहीं की जाएगी।

II. अप्रैल, 2017 से, अनुबंध में उपलब्ध पीवीसी 2004-05 के आधार के साथ WPI सूचकांकों की अनुपलब्धता के कारण अनुपयोगी हो गया है। ऐसे मामलों में निम्नलिखित विधि का उपयोग किया जाएगा:

अनुबंध में निहित पीवीसी का उपयोग करते हुए अनुबंध मूल्य मार्च, 2017 तक अद्यतन किया जाएगा। इस अद्यतन मूल्य को 2011-12 के आधार वर्ष के मार्च 2017 के आधार सूचकांकों के साथ आधार मूल्य के रूप में लिया जाएगा। 2011-12 बेस सीरीज़ में उपलब्ध नए सूचकांकों के अनुसार नए पीवीसी फॉर्मूले का उपयोग करके कीमत को और अपडेट किया जा सकता है। इसके लिए अनुबंध में संशोधन की आवश्यकता होगी।

यह लिंक में उपलब्ध है -
http://www.indianrailways.gov.in/railwayboard/uploads/directorate/stores/downloads/circular/2017/Change_Base_Year_080817.pdf

12 रेलवे बोर्ड पत्र संख्या 2008/RS(G)/777/1 दिनांक 05.09.2017
GST व्यवस्था के तहत अधिकारियों का मूल्यांकन।
क्रेता को निविदा दस्तावेज में एचएसएन नंबर शामिल करना होगा। हालांकि, सही एचएसएन नंबर और संबंधित जीएसटी दर को उद्धृत करने की जिम्मेदारी बोलीदाताओं की होगी।

i. प्रत्येक बोलीदाता द्वारा उद्धृत जीएसटी दर के आधार पर प्रस्तावों का मूल्यांकन किया जाएगा और इसका उपयोग परस्पर रैंकिंग निर्धारित करने के लिए किया जाएगा। प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय, यह सुनिश्चित करने के लिए बोलीदाता की जिम्मेदारी होगी कि वे सही GST दर और HSN नंबर उद्धृत करें

ii. यदि बोलीदाता द्वारा उद्धृत किया गया है तो HSN संख्या या गलत GST दर के किसी भी गलत वर्गीकरण के लिए क्रेता जिम्मेदार नहीं होगा।

iii. जहां भी सफल बोलीदाता GST दर या HSN नंबर पर माल का चालान करता है, जो कि खरीद आदेश में शामिल से अलग है, भुगतान GST दर के अनुसार किया जाएगा जो कि खरीद आदेश या बिल में शामिल जीएसटी दर से कम है।

iv. विक्रेता को सूचित किया जाता है कि उसे खरीद आदेश में उल्लिखित सभी समावेशी मूल्य से मेल खाने के लिए चालान के अनुसार उच्च कर बिल द्वारा आवश्यक सीमा तक उसकी मूल कीमत समायोजित करने की आवश्यकता होगी।

v. अनुबंध में GST दर या HSN संख्या में कोई भी संशोधन अनुबंध की शर्तों और SVC के तहत उद्धृत GST दर और HSN संख्या में वैधानिक संशोधन के अनुसार होगा।

यह लिंक में उपलब्ध है -
http://www.indianrailways.gov.in/railwayboard/uploads/directorate/stores/downloads/circular/2017/GST_Regime_050917.pdf

13 रेलवे बोर्ड पत्र संख्या 2000/RS(G)/379/2 दिनांक 06.09.2017
RITES/RDSO द्वारा सामग्री का पूर्व-निरीक्षण - भंडार का न्यूनतम मूल्य

बोर्ड ने तीसरे पक्ष अर्थात मेसर्स राइट्स/आरडीएसओ द्वारा पूर्व-निरीक्षण किए जाने वाले खरीद आदेश की न्यूनतम मूल्य सीमा को 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 5.0 लाख रुपये करने का निर्णय लिया है। निरीक्षण के अन्य सभी पहलू अपरिवर्तित रहेंगे।
यह लिंक में उपलब्ध है -
http://www.indianrailways.gov.in/railwayboard/uploads/directorate/stores/downloads/circular/2017/Pre-inspection_060917.pdf

रेलवे बोर्ड के संशोधित आदेश इस प्रकार हैं-
रेलवे बोर्ड पत्र संख्या 2000/RS(G)/379/2 दिनांक 18.01.2018

पूर्व-निरीक्षण आइटम और वारंटी अस्वीकृति की अस्वीकृति को संभालना।

यह लिंक में उपलब्ध है -
https://indianrailways.gov.in/railwayboard/uploads/directorate/stores/downloads/circular/RS%20G/Handling%20to%20rejection.pdf

रेलवे बोर्ड पत्र संख्या 2000/आरएस(जी)/379/2 दिनांक 29.08.2018
RITES/RDSO द्वारा सामग्री का पूर्व निरीक्षण
यह लिंक में उपलब्ध है -
https://indianrailways.gov.in/railwayboard/uploads/directorate/stores/downloads/circular/2018/Pre-inspetion_290818.pdf

14. रेलवे बोर्ड का पत्र संख्या 2010/RS(G)/363/1 दिनांक 25.04.2018, अवर सचिव के कार्यालय ज्ञापन के साथ F.5/4/2018-PPD दिनांक 28.02.2018।
विषय: केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल (CPPP) पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) विक्रेताओं द्वारा उद्योग आधार ज्ञापन (UAM) का पंजीकरण।
यह लिंक में उपलब्ध है -
http://www.indianrailways.gov.in/railwayboard/uploads/directorate/stores/downloads/circular/RS%20G/Registration_363_1.pdf

15. रेलवे बोर्ड पत्र संख्या 2010/RS(G)/363/1 Pt.I दिनांक 28.12.2018, एमएसएमई और भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के डीओ पत्र दिनांक 09.11.2018 की राजपत्रित अधिसूचना के साथ दिनांक 13.11.2018 की प्रतियों के साथ।

विषय: सूक्ष्म और लघु उद्यमों (MSE) के लिए सार्वजनिक खरीद नीति संशोधन आदेश 2018 - के संबंध में
यह लिंक में उपलब्ध है -
http://www.indianrailways.gov.in/railwayboard/uploads/directorate/stores/downloads/circular/2018/MSE_281218.pdf

रेलवे बोर्ड के संशोधित आदेश इस प्रकार हैं-
रेलवे बोर्ड पत्र संख्या 2010/RS(G)/363/1 दिनांक 13.02.2019
सूक्ष्म और लघु उद्यमों (MSEs) संशोधन आदेश 2018 के लिए सार्वजनिक खरीद नीति के संबंध में स्पष्टीकरण।
यह लिंक में उपलब्ध है -

https://indianrailways.gov.in/railwayboard/uploads/directorate/stores/downloads/circular/RS%20G/RS(G)_Public%20Procurement%20Policy_13022019.pdf

रेलवे बोर्ड पत्र संख्या 2022/RS(G)/363/1 दिनांक 07.02.2022

MSEs आदेश 2012 के लिए सार्वजनिक खरीद नीति के संबंध में संशोधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न - के संबंध में

यह लिंक में उपलब्ध है -

https://indianrailways.gov.in/railwayboard/uploads/directorate/stores/downloads/circular/MSME/Revised-07022022_MSME.pdf

16 रेलवे बोर्ड पत्र संख्या 2010/RS(G)/363/1 Pt.I दिनांक 13.02.2019

सूक्ष्म और लघु उद्यमों (MSEs) संशोधन आदेश 2018 के लिए सार्वजनिक खरीद नीति के संबंध में स्पष्टीकरण

विषय: सूक्ष्म और लघु उद्यमों (MSEs) संशोधन आदेश 2018 के लिए सार्वजनिक खरीद नीति के संबंध में स्पष्टीकरण।

यह लिंक में उपलब्ध है -

http://www.indianrailways.gov.in/railwayboard/uploads/directorate/stores/downloads/circular/RS%20G/RS(G)_Public%20Procurement%20Policy_13022019.pdf

17. रेलवे बोर्ड पत्र संख्या 2021/RS(G)/779/5 दिनांक 04.03.2022

स्टोर्स कॉन्ट्रैक्ट में क्वांटिटी ऑप्शन क्लॉज का संचालन।

विषय: स्टोर्स कॉन्ट्रैक्ट में क्वांटिटी ऑप्शन क्लॉज का संचालन।

यह लिंक में उपलब्ध है -

https://indianrailways.gov.in/railwayboard/uploads/directorate/stores/Option%20Clause/Quality-Option-Clause-04032022.pdf